निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित इक्यावनवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य निष्पादन संबंधी मुख्य तथ्य

1.1. कार्य–निष्पादन का सारांश

पिछले वर्ष के कार्य–निष्पादन की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2019–20 के संबंध में कंपनी के कार्य निष्पादन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
संस्वीकृत ऋण	**1,10,907.99**	1,15,957.35
संवितरण	**75,666.95**	72,165.43
डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी सहित) और सौभाग्य के अंतर्गत सब्सिडी	**6,473.88**	19,662.13
वसूलियां (ब्याज सहित)	**62,559.74**	55,093.20
कुल प्रचालन आय	**29,791.06**	25,309.72
कर पूर्व लाभ	**6,983.29**	8,100.50
कर पश्चात लाभ	**4,886.16**	5,763.72
कुल व्यापक आय	**4,336.37**	5,703.18

1.2 वित्तीय प्रदर्शन

आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 25,309.72 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, 29,791.06 करोड़ रुपये थी। कर पश्चात लाभ और कुल व्यापक आय वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 5,763. 72 करोड़ रुपये और 5,703.18 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए क्रमशः 4,886.16 करोड़ रुपये और 4,336.37 करोड़ रुपये थी।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही पिछले वर्ष में 2,81,209.68 करोड़ रुपये की तुलना में 3,22,424.68 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, 2,80,115.85 करोड़ रुपये का उधार बकाया था।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) 10/– रुपये के प्रत्येक शेयर पर 24.74 रुपये प्रति शेयर था। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की निवल संपत्ति 2.26 प्रतिशत बढ़कर 35,076.56 करोड़ रुपये हो गई, जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 34,302.94 करोड़ रुपये थी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसी को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय रिर्पोटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईसीएआई अवार्ड प्राप्त हुआ।

1.3 लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रत्येक 10/– रुपये के इक्विटी शेयर पर 11.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (यह कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 110 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है) के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है और 24 फरवरी, 2020 को इसका भुगतान कर दिया गया था। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

चुनौतीपूर्ण कारोबारी परिदृश्य के बावजूद, कंपनी ने 11.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से लाभांश के जरिए अपने शेयरधारकों को निरंतर पुरस्कृत किया है, जो पिछले वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि के समान है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भुगतान किए गए कुल लाभांश की राशि 2,172.41 करोड़ रुपये (लाभांश वितरण कर को छोड़कर) है।

लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/ Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

1.4 शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपये थी, जिसमें 10/– रुपये प्रत्येक के 500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे; और कंपनी की जारी की गई एवं चुकता शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रुपये थी जिसमें 10/– रुपये प्रत्येक के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की 52.63 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी जिसमें 10/– रुपये प्रत्येक के 103,94,95,247 इक्विटी शेयर भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा रखे गए थे; और शेष 47.37 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी जनता द्वारा रखी गई थी।

2. स्वीकृत ऋण

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1,15,957.35 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 1,10,907.99 करोड़ रुपये मूल्य के ऋण स्वीकृत किये हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए स्वीकृति में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 55,811.89 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,026.33 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 41,604.77 करोड़ रुपये और अल्प अवधि, मध्यावधि और अन्य ऋणों के लिए 6,465.00 करोड़ रुपये शामिल हैं। आपकी कंपनी द्वारा अपनी शुरूआत से लेकर 31 मार्च, 2020 तक 10,99,749.45 करोड़ रुपये की संचयी स्वीकृति की गई।

3. संवितरण

पिछले वित्तीय वर्ष में वितरित 72,165.43 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 75,666.95 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए संवितरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 27,490.87 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,699.09 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 30,856.19 करोड़ रुपये, अल्प अवधि, मध्यावधि और अन्य ऋणों के लिए 6,390.00 करोड़ रुपये और डीडीजी (विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन) और सौभाग्य योजनाओं सहित डीडीयूजीजेवाई के तहत काउंटर पार्ट वित्तपोषण के लिए 5,230.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार से 6,473.88 करोड़ रुपये की राशि (अर्थात डीडीयूजीजेवाई के तहत 5,733.62 करोड़ रुपये की सब्सिडी, डीडीयूजीजेवाई–डीडीजी के तहत 44.13 करोड़ रुपये की सब्सिडी, और सौभाग्य के तहत 696.13 करोड़ रुपये की सब्सिडी) भी वितरित की गई थी। शुरूआत से लेकर 31 मार्च, 2020 तक संचयी रूप से वितरित धनराशि, डीडीयूजीजेवाई–आरई और डीडीजी के तहत सब्सिडी को छोड़कर, 5,97,121.87 करोड़ रुपये थी।

4. वसूलियां

4.1 कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के निमित्त अपने बकाया की समय से वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, मानक परिसंपत्ति (स्टेज–I और स्टेज–II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वर्ष के दौरान 55,155.10 करोड़ रुपये की तुलना में 62,340.60 करोड़ रुपये (कोविड–19 मोरेटोरियम नीति के अनुसार आस्थगित 1,496.20 करोड़ रुपये को छोड़कर) थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान मानक परिसंपत्ति (स्टेज–I और स्टेज–II) के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 54,502.06 करोड़ रुपये की तुलना में कुल 61,945.04 करोड़ रुपये की राशि वसूल की। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 99.37 प्रतिशत की वसूली दर हासिल की। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, मानक परिसंपत्तियों (स्टेज–I और II) से संबंधित चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि 2,887.29 करोड़ रुपये (कोविड–19 मोरेटोरियम नीति के अनुसार आस्थगित 1,496.20 करोड़ रुपये को छोड़कर) थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (स्टेज–III) से 614.69 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 591.14 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई थी।

4.2 आपकी कंपनी की गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) (स्टेज–III) निचले स्तर पर जारी रहीं। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, सकल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) (स्टेज–III) 21,255.55 करोड़ रुपये थीं, जो सकल ऋण परसंपत्तियों का 6.59 प्रतिशत था और निवल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) (स्टेज–III) 10,703.42 करोड़ रुपये थीं जो ऋण परिसंपत्तियों का 3.32 प्रतिशत थीं।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
प्रचालनों से राजस्व	29,791.06	25,309.72	29,929.78	25,399.02
अन्य आय	63.92	31.44	77.27	32.31
कुल आय	**29,854.98**	**25,341.16**	**30,007.05**	**25,431.33**
वित्त लागत	18,997.05	15,641.54	18,991.30	15,639.20
निवल ट्रांसलेशन/लेन–देन विनिमय हानि	2,357.90	521.19	2,357.90	521.19
शुल्क और कमीशन व्यय	25.44	34.38	25.44	34.38
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	25.85	348.52	25.85	348.52
वित्तीय दस्तावेजों पर प्रभाव	889.56	240.33	919.49	243.49

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
अन्य व्यय	575.89	454.70	666.23	564.06
कुल व्यय	**22,871.69**	**17,240.66**	**22,986.21**	**17,350.84**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए शामिल संयुक्त उद्यम लाभ/हानि का हिस्सा	0	0	9.14	9.95
कर पूर्व लाभ	**6,983.29**	**8,100.50**	**7,029.98**	**8,090.44**
कर व्यय	2,097.13	2,336.78	2,057.71	2,349.06
कर पश्चात लाभ	**4,886.16**	**5,763.72**	**4,972.27**	**5,741.38**
इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	(549.79)	(60.54)	(553.85)	(60.59)
कुल व्यापक आय	**4,336.37**	**5,703.18**	**4,418.42**	**5,680.79**
जोड़ें: प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का आरंभिक शेष	5,036.27	5,304.75	5,226.53	5,536.07
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	**9,372.64**	**11,007.93**	**9,644.95**	**11,216.86**
घटाएं: विनियोजन				
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	(1,522.32)	(1,323.59)	(1,522.32)	(1,323.59)
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii ए) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण	(336.52)	(273.62)	(336.52)	(273.62)
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत रिजर्व निधि	(978.00)	(1,153.00)	(978.00)	(1,153.00)
डिबेंचर मोचन रिजर्व	(49.15)	(196.59)	(49.15)	(196.59)
गैर–निष्पादन रिजर्व	(793.29)	-	(793.29)	-
उप–जोड़ – विनियोजन	***(3,679.28)***	***(2,946.80)***	***(3,679.28)***	***(2,946.80)***
घटाएं: स्वामियों को लाभांश का भुगतान (संगत करों सहित)				
लाभांश	(2,172.41)	(2,518.02)	(2,172.41)	(2,518.02)
लाभांश वितरण कर	(435.78)	(506.84)	(446.06)	(525.51)
उप–जोड़: स्वामितियों को लाभांश का भुगतान (संगत करों सहित)	***(2,608.19)***	***(3,024.86)***	***(2,618.47)***	***(3,043.53)***
प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का अंतिम शेष	**3,085.17**	**5,036.27**	**3,347.20**	**5,226.53**

टिप्पणियां: रिजर्व से आहरण द्वारा कमी/स्थानांतरण–विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सृजित रिजर्व के सांविधिक परिवर्तन और उपयोग के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न रिजर्व से सामान्य रिजर्व में निम्नलिखित धनराशि अंतरित की है:

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 16 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 574 (ई) के अनुसरण में डिबेंटर मोचन रिजर्व (डीआरआर) से 1,367.27 करोड़ रुपये। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 24.5 देखें।
2. ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viia)(ग) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से 378.41 करोड़ रुपये।

5.2 राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष में 2,624.44 करोड़ रुपये (भारत सरकार को भुगतान किए गए अंशदान को छोड़कर) की तुलना में राष्ट्रीय राजकोष में 2,214.12 करोड़ रुपये की राशि का अंशदान दिया। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
भारत सरकार को अदा किया गया लाभांश	-	1,343.75
लाभांश संवितरण कर	**435.78**	506.84
प्रत्यक्ष कर	**1,748.74**	2,043.13
आईजीएसटी और सीजीएसटी	**29.60**	74.47
कुल	**2,214.12**	**3,968.19**

5.3 अनुपात विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
प्रति शेयर अर्जन (₹)	**24.74**	29.18
औसत निवल मूल्य पर आय (%)	**14.09**	17.31
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	**177.61**	173.69
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	**7.99**	6.98
मूल्य अर्जन अनुपात (गुना)*	**3.59**	5.24
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	**1.37**	1.52

*मूल्य अर्जन अनुपात का परिकलन क्रमशः 31 मार्च, 2020, और 29 मार्च, 2019 (30–31 मार्च, 2019 को अवकाश होने के कारण) की स्थिति के अनुसार एनएसई में आरईसी के इक्विटी शेयर की अंतिम कीमत के आधार पर किया गया है।

5.4 संसाधन जुटाना

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बाजार से 84,358.12 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें बैंकों से सावधि ऋणों के जरिए 9,725.00 करोड़ रुपये, बैंकों से अल्पावधिक ऋणों के जरिए 2,750.00 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय लघु बचत कोष से सावधि ऋणों के जरिए 5,000 करोड़ रुपए, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्डों के जरिए 6,159.32 करोड़ रुपये और संस्थागत बांडों के जरिए 42,713.10 करोड़ रुपये शामिल हैं। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारी से 2,551.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर [बाह्य वाणिज्यिक उधारी से 1,600.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर, एफसीएनआर(बी) से 790.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर और शासकीय विकास सहायता (ओडीए) ऋणों से 161.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर] के बराबर 18,010.70 करोड़ रुपये भी जुटाए। उपरोक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 में वाणिज्यिक दस्तावेज के माध्यम से 6,249.64 करोड़ रुपये की राशि भी जुटाई।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं की वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निजी रूप से रखने के आधार पर जारी किए गए संस्थागत बांडों के माध्यम से कुल 3,782.30 करोड़ रुपये की राशि भी जुटाई। इन बॉण्डों के मूलधन का पुनर्भुगतान और ब्याज की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी।

आरईसी द्वारा जारी ग्रीन बॉण्डों का प्रकटन

देश में हरित ऊर्जा की भारी संभावना को लेने के लिए भारत सरकार के विजन को महसूस करने के निमित्त और 2022 तक 175 गीगावाट की क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरईसी ने जुलाई, 2017 में दस वर्षों की अवधि के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉण्ड जुटाए जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) सेगमेंट और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध हैं।

धनराशि का प्रयोग : धनराशि का उपयोग सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान करते हुए और जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए आरईसी के ग्रीन बांड कार्यढांचों में परिभाषित किए गए अनुसार पात्र परियोजनाओं के पुनः वित्तपोषण सहित सौर, पवन और नवीकरणीय क्रय दायित्वों के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

केपीएमजी, भारत ने आरईसी के ग्रीन बॉण्ड कार्यढांचे के आधार पर सत्यापन के उपरांत अपनी स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट उपलब्ध कराई है और उसे 17 जुलाई, 2018 को जलवायु बॉण्ड पहल के जलवायु बांड मानक बोर्ड द्वारा प्रमाणित भी किया गया है।

आरईसी ने ग्रीन बॉण्ड कार्यढांचा के अनुसार "ग्रीन पोर्टफोलियो" सृजित किया है जिसका प्रबंधन उस ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए धनराशि के आबंटन हेतु मॉनीटरिंग, स्थापना और हिसाब रखने के लिए नियमित आधार पर अद्यतन की गई सुस्थापित आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से किया गया।

धनराशि का प्रबंधनः 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 2,894 करोड़ रुपये की धनराशि के बॉण्डों से प्राप्त निवल राशि को निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आबंटित किया गया थाः

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	ऋण संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत ऋण राशि	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि
सौर					
1	तेलंगाना	45	21.09.2016	269.50	245.09
2	तेलंगाना	30	21.09.2016	179.62	162.73
3	करीमनगर तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	78.44
4	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	10	27.01.2016	53.81	43.05
5	वारंगल, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	78.66

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	ऋण संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत ऋण राशि	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि
6	आंध्र प्रदेश	500	24.02.2016	2,480.00	1,894.01
7	करीमनगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	78.41
8	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	5	09.02.2015	24.45	19.44
9	तेलंगाना	30	21.09.2016	179.62	162.37
10	कडप्पा, आंध्र प्रदेश	50	12.04.2017	277.50	253.84
11	रंडा रेड्डी, तेलंगाना	5	27.01.2016	26.90	23.37
12	मनसा, पंजाब	50	22.09.2016	242.84	-
13	मेडक, तेलंगाना	7	26.11.2015	39.90	33.91
14	निजामाबाद, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	78.11
15	आंध्र प्रदेश	23	24.02.2016	140.00	-
16	करीमनगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	78.43
17	निरुदानगर, तमिलनाडु	5	14.07.2015	26.13	20.14
18	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	30	17.04.2017	150.39	134.55
19	मनसा और संगरूर, पंजाब	50	21.05.2016	169.69	148.88
			उप–जोड़ (क)	**4,709.55**	**3,533.43**
पवन					
1	सांगली, महाराष्ट्र	10	24.02.2015	47.09	36.22
2	मंदसौर, मध्य प्रदेश	20	28.01.2016	86.63	64.66
3	तिरपुर, तमिलनाडु	6.8	06.06.2012	26.16	18.66
			उप–जोड़ (ख)	**159.88**	**119.54**
नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ)					
1	महाराष्ट्र	आरपीओ	24.07.2017	500.00	312.50
2	महाराष्ट्र	आरपीओ	21.09.2017	1,000.00	200.00
			उप–जोड़ (ग)	**1,500.00**	**512.50**
			सकल जोड़ (क+ख+ग)	**6,369.43**	**4,165.47**

पवागडा सोलर पार्क में आरईसी द्वारा वित्तपोषित अवाडा समूह की 150 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना

आरईसी यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सतत दायित्वों के अनुसार अपने ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि बॉण्ड की अवधि के दौरान ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के अनुसार पात्र परियोजनाओं में निवेश की गई है।

नकद ऋण सुविधाएं

आपकी कंपनी को अपने दिन–प्रति दिन के प्रचालनों के लिए विभिन्न बैंकों से 10,020.00 करोड़ रुपये की सीमा तक अनुमोदित नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल/ओडी उपलब्ध है।

5.5 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

आरईसी के घरेलू ऋण दस्तावेजों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों – क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं आईसीआरए से "एएए" रेटिंग प्राप्त होना जारी है जो इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

आरईसी को मूडीज तथा फिच, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" की सोवरन रेटिंग के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।

5.6 उधार की लागत

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जुटाई गई निधियों की और यह 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, बकाया उधार के लिए, अन्य वित्त प्रभारों को छोड़कर, वार्षिक आधार पर समग्र भारित औसत ब्याज दर क्रमशः 6.70% और 7.32% है। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण करने में समर्थ रही।

5.7 उन्मोचन और पूर्व–भुगतान

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 42,605.58 करोड़ रुपये की धनराशि का पुनर्भुगतान किया है। इसमें संस्थागत बॉण्ड धारकों को 19,854.20 करोड़ रुपये, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्डों का 7,662.91 करोड़ रुपये, अवसंरचना बांडों के लिए 74.97 करोड़ रुपये, बाहरी वाणिज्यिक उधारों का 1,740.59 करोड़ रुपये, एफसीएनआर ऋणों का 3,507.72 करोड़ रुपये और सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण का 190.19 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान शामिल है। कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों से 9,575.00 करोड़ रुपये के दीर्घावधिक ऋणों और 11,300.00 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के वाणिज्यिक दस्तावेजों का भी उन्मोचन कराया है।

5.8 वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन 3,46,487.59 करोड़ रुपये के थे। इस राशि में से, इक्विटी शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रुपये, आरक्षित तथा अधिशेष सहित अन्य इक्विटी 33,101.64 करोड़ रुपये, उधारियों और अन्य देनदारियों सहित वित्तीय देनदारियां 3,11,228.91 करोड़ रुपये, प्रावधानों और अन्य वित्तीय देनदारियों सहित गैर–वित्तीय देनदारियां 182.12 करोड़ रुपये रहीं। इन निधियों को 3,43,497.14 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋणों, निवेशों इत्यादि सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में और 2,990.45 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, कर परिसंपत्तियों इत्यादि सहित गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के रुप में नियोजित किया गया।

5.9 नीतिगत पहलें

यह कंपनी बाजार की अपेक्षाओं और बदलती सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार, साथ–साथ चलने तथा अपने कारपोरेट उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समय–समय पर अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा करती रहती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने "निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके सगे–संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए तथा पारदर्शी प्रकटन के लिए संहिता", "मैटेरियल सब्सिडियरी के निर्धारण के लिए नीति", "संगत पक्ष लेन–देन की वास्तविकता और संगत पक्ष लेन–देन के साथ व्यापार के संबंध में नीति" तथा "धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति" सहित विभिन्न नीतियां और दिशा–निर्देश अपनाए/संशोधित किए हैं। कंपनी ने प्रभावित परिसंपत्तियों के लिए एक नीति तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों के कार्यशील पूंजीगत ऋण के लिए अतिरिक्त दिशा–निर्देश भी अपनाए हैं।

6. वर्तमान पारेषण और वितरण परिदृश्य

पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) उद्योग देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 370 गीगावाट (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार) के उच्च स्तर पर होने और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नियोजित अत्यधिक क्षमताओं के संबंध में व्यापक स्तर पर क्षमता अभिवृद्धि और प्रणाली संवर्धन का साक्षी है। तकनीकी रूप से पुरानी और कालातीत वितरण अवसंरचना को मजबूत करने की भी जरूरत है। सौर पार्कों की स्थापना होने से अवसंरचना तैयार करने की आवश्यकता पड़ी है ताकि अपेक्षाकृत कम समय अवधि में प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। समय की मांग है कि ऐसी अत्याधुनिक मजबूत और विश्वसनीय निष्क्रमण व वितरण प्रणाली स्थापित की जाए जो अधिक भार वहन करने में सक्षम है। भारत सरकार के अग्रगामी कार्यक्रम सौभाग्य के तहत लक्षित घरेलू कनेक्शन पूरे होने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपेक्षित गति आने के साथ ही आने वाले वर्षों में मांग में वृद्धि होने की संभावना है। अतः इस क्षेत्र में विश्वसनीय बनाने, वहनीय और भावी विकास को समाहित करने में सक्षम बनाने के लिए तथा देश के अंतिम छोर तक पहुँच प्रदान करने के लिए टीएंडडी घटक एक प्रमुख आकर्षण का क्षेत्र होगा।

नीति फ्रेमवर्क से उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने और विद्युत ग्रिड के साथ भावी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकारों के समाधान में सहायता मिली है। वितरण क्षेत्र का पुनरुत्थान करने के लिए भारत सरकार ने देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार और बदलाव के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधान मंत्री सहज

बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स इत्यादि जैसी अनेक पहलें की हैं।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में आपकी कंपनी इस क्षेत्र की हालत की सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी नए अवसंरचना के सृजन और मौजूदा नेटवर्क के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण में सक्रिय भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी विभिन्न सुधारपरक उपायों में तेजी लाने के लिए और प्रणाली/स्मार्ट ग्रिड, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं, वितरण क्षेत्र में अन्य प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के आधुनिकीकरण एवं ऑटोमेशन सहित सर्वोत्तम प्रक्रिया को अपनाने के लिए डिस्कॉम को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनके प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने में मदद मिलती है।

विद्युत क्षेत्र और देश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वितरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय के साथ संतुलन बनाते हुए, जहां यूटिलिटियों के समक्ष स्वयं को तैयार रखने के लिए समस्या आ रही है, और साथ ही उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी प्रणाली में सुधार करने, और विकास करने, हानि में कमी लाने के उपाय करने, आईटी आधारित प्रणाली कार्यान्वित करने, उपभोक्ताओं की संतुष्टि करने इत्यादि व्यापक उद्देश्यों वाली समग्र वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने समय–समय पर विभिन्न सुधारपरक पहलें शुरू की हैं। अनबंडलिंग, कारपोरेटाइजेशन, संस्थागत विनियामक आयोग इत्यादि की प्रक्रिया अधिकांश राज्यों में पहले ही पूरी हो चुकी है, इस प्रकार डिस्कॉमों की जिम्मेदारी बढ़ाकर और साथ ही उन्हें अधिक स्वायत्ता प्रदान की जा रही है।

विगत में विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम प्रभावित डिस्कॉमों को लाभ प्रदान करने के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, शहरी पॉकेटों में हानियों को कम करने, आईटी सक्षम बनाने, और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किए गए थे। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और उदय जैसे उत्तरोत्तर हस्तक्षेपों से डिस्कॉमों को प्रचालनात्मक और वित्तीय बदलाव में सहायता मिल रही है। इसके अलावा, एक ब्याज सब्सिडी योजना के रूप में एनईएफ भी कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देना और वितरण क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाना है। आरईसी डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन में और सौभाग्य तथा एनईएफ योजनाओं को प्रचालनात्मक करने के लिए नोडल एजेंसी है और यह उदय के कार्यान्वयन में भारत सरकार के प्रयासों में सहायता के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित "सभी के लिए 24x7 विद्युत" दस्तावेज पूरे देश में विद्युत प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपकी कंपनी सभी के लिए विद्युत वेब पोर्टल के विकास में सहायक रही है और इस प्रयास में विद्युत मंत्रालय की सहायता कर रही है। आपकी कंपनी इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मामले के समाधान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ कार्य करके और अपेक्षित वित्तपोषण उपलब्ध कराकर संबंधित राज्य यूटिलिटियों में सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

विद्युत मंत्रालय ने देश में सभी राज्य डिस्कॉमों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रणाली तैयार की है जो मुख्य परिभाषी मानदंडों के आधार पर निष्पादन का वास्तविक मूल्यांकन सुकर बनाती है। यह रेटिंग सिद्धांत डिस्कॉमों को उनकी शक्ति तथा कमजोरियों का विश्लेषण करने में समर्थ बनाती है तथा उनके प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए केंद्रीय दृष्टिकोण को सुगम बनाती है। यह वितरण कंपनियों के वित्तपोषण संबंधित प्रस्तावों पर विचार करते समय, बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा सतत दृष्टिकोण को अपनाने में भी सहायता करती है।

वितरण क्षेत्र द्वारा 100 से अधिक स्मार्ट शहरों के विकास को बढ़ावा देने में आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने और प्रौद्योगिकी उन्नयन से नए वित्तीय अवसर प्रस्तुत होंगे। भारत सरकार ने सभी को विद्युत और यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन में सुधार करके सुविधा प्रदान की है जो कई राज्यों में विनियामक द्वारा प्रशुल्कों की समय पर अधिसूचना, एमवाईटी याचिकाएं दायर करने, एआरआर में इक्विटी पर आय का दावा करने, राज्य सरकारों द्वारा राजस्व सब्सिडी जारी करने आदि के संदर्भ में परिणाम दर्शा रहा है।

6.2 राष्ट्रीय विद्युत निधि

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के लिए कार्यान्वयन नोडल एजेंसी है – यह 8,466 करोड़ रुपये (ब्याज सब्सिडी और अन्य प्रासंगिक व्ययों की तुलना में) के प्रावधान वाली एक ब्याज सब्सिडी योजना है जिसमें दो वित्तीय वर्षों अर्थात 2012–13 और 2013–14 के दौरान स्वीकृत वितरण स्कीमों के लिए 23,973 करोड़ रुपये की धनराशि के ऋण संवितरण पर 14 वर्षों में दी जाएगी। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार राज्य विद्युत यूटिलिटियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में वितरण कंपनियों को वितरण क्षेत्र में अवसंरचना सुधार के लिए, लिए गए ऋणों हेतु ब्याज के भुगतान के भुगतान पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।

यह योजना सुधार संबद्ध है और एनईएफ दिशा–निर्देशों में उल्लिखित सुधार आधारित मानदंडों की उपलब्धि पर डिस्कॉमों को 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देय है। शुरू में एनईएफ संचालन समिति ने एनईएफ के अधीन लाभ लेने के लिए 25,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित की थीं जो एनईएफ संचालन समिति के निर्णय के अनुसार कुछ नॉन स्टार्टर परियोजनाओं को सूची से हटाने के कारण घटकर 23,973 करोड़ रुपये हो गई है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से यूटिलिटियां 31 मार्च, 2020 तक इस योजना के तहत जारी 249.70 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी से पहले ही लाभान्वित हो चुकी हैं।

6.3 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

आरईसी, भारत सरकार की प्रमुख योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के प्रचालन के लिए भी नोडल एजेंसी है, जिसमें ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार विद्युत के

लिए सभी गैर–विद्युतीकृत गांवों/वासस्थलों को, उनकी आबादी के मानदंड पर ध्यान दिए बिना, शामिल किये गए हैं। सभी पूर्ववर्ती चालू ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए देश में सभी शेष गैर–विद्युतीकृत जनगणना अनुसार बसावट वाले गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत कर दिया गया है।

डीडीयूजीजेवाई भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित परियोजना संघटकों के माध्यम से "सभी के लिए 24x7 विद्युत" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

क) कृषि और गैर–कृषि फीडरों को अलग–अलग करके गैर–कृषि उपभोक्ताओं को सतत गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति में समर्थ बनाना;

ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण और वितरण का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन;

ग) माइक्रो–ग्रिड और ऑफ–ग्रिड वितरण नेटवर्क;

घ) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के मीटर लगाना; और

ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य (पूर्व की आरई परियोजनाओं सहित)।

योजना के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) निर्धारित उपलब्धि हासिल करने के बाद प्रदान किया जाता है। योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों की सहभागिता से, विशेष रूप से लोक प्रतिनिधियों को वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) (पूर्ववर्ती जिला विद्युत समिति) का गठन करके सहायता प्रदान की गई है। दिशा को डीडीयूजीजेवाई की निगरानी करने, समीक्षा करने और कार्यान्वयन करने के लिए सशक्त बनाया है।

योजना में भारत सरकार से 33,453 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 43,033 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा डीडीयूजीजेवाई के लिए 33 राज्यों और संघ–राज्य क्षेत्रों में 44,414 करोड़ रुपये की राशि (27,750 करोड़ रुपये की अनुदान राशि सहित) स्वीकृत की गई है, जिसमें से 31 मार्च, 2020 तक 27,606 करोड़ रुपये (20,440 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) जारी किए जा चुके हैं।

6.4 जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज 2015

माननीय प्रधान मंत्री ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण के लिए दिनांक 27 नवंबर, 2015 को पूर्ववर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य (अब जम्मू व कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र) के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज ("पीएमडीपी–2015") की घोषणा की थी, जिसकी अनुमोदित परियोजना लागत 2,570.14 करोड़ रुपये (भारत सरकार का अनुदान 90 प्रतिशत अर्थात 2,301.62 करोड़ रुपये) थी। योजना के तहत मुख्य कार्यों में, प्रणाली सुदृढ़ीकरण करना, कनेक्शन रहित घरों को कनेक्शन देना, कांटे का तार बदलना और टूटे पोल बदलना, पर्यटन स्थलों पर भूमिगत केबिल, उपभोक्ता मीटरिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में 33/11 केवी के उप स्टेशनों का निर्माण करना और धर्म स्थलों पर विद्युत अवसंरचना प्रदान करना शामिल है।

उपरोक्त में से, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 1,157.73 करोड़ रुपये (भारत सरकार का अनुदान 1,041.96 करोड़ रुपये) की राशि मंजूर की गई है। धनराशि आरईसी के जरिए दी जाएगी और अब तक 570.94 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

6.5 सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

माननीय प्रधानमंत्री ने देश में प्रत्येक गांव और जिले को शामिल करते हुए हर घर में बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिनांक 25 सितंबर, 2017 को प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य का शुभारंभ किया। योजना परिव्यय 16,320 करोड़ रुपये है जिसमें 12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता शामिल है। योजना के प्रचालन के लिए आरईसी नोडल एजेंसी है।

सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करके विद्युत उपलब्ध कराने की जरूरत है। जहां ग्रिड कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं है, और वित्तीय रूप से अव्यवहार्य है, वहां सौर आधारित ऑफ ग्रिड प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकरण का सहारा लिया जाता है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित उपलब्ध कराना है:

क. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर–विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन;

ख. शहरी क्षेत्रों में शेष सभी आर्थिक रूप से गरीब गैर–विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन। गैर–गरीब शहरी घरों को इस योजना से बाहर रखा गया है;

ग. दूर–दराज और बिना पहुँच वाले गांवों/वासस्थलों में स्थित गैर–विद्युतीकृत घरों के लिए सोलर फोटोवोल्टेक आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली, जहां ग्रिड विस्तार व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है।

योजना के तहत, विद्युत मंत्रालय ने 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 14,109 करोड़ रुपये (9,093 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) मंजूर किए हैं जिसमें से 31 मार्च, 2020 तक 8,007 करोड़ रुपये (4,946 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) जारी किए जा जा चुके हैं। योजना के तहत, 31 मार्च, 2020 तक 2.76 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया है।

6.6 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

वित्तीय रूप से बोझिल डिस्कॉम वहनीय दरों पर पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण देश में लंबे समय से गुणवत्तापरक जीवन, समग्र आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। शत–प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करने और फिर 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण करने, 24x7 विद्युत की आपूर्ति करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के प्रयासों को डिस्कॉमों का पर्याप्त क्षमता निर्माण किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, लगातार विद्युत कटौती की समस्या के "मेक इन इंडिया"

और "डिजिटल इंडिया" जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। डिस्कॉमों के साथ अनसुलझे विरासत के मुद्दों से वे ऋण से वित्तपोषित की जा रही प्रचालनात्मक हानियों के दुश्चक्र में फंस गए हैं।

इन सब लंबे समय से चले आ रहे तथा संभावित भावी मुद्दों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवंबर, 2015 में "उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना" (उदय) शुरू की गई थी, जो माननीय प्रधानमंत्री सभी के लिए 24x7 किफायती और सुलभ विद्युत के विजन को साकार करने के लिए एक सुधार है। उदय योजना से डिस्कॉमों को निम्नलिखित पहलों के जरिए उनकी संगत एमओयू अवधि समाप्त होने पर हानि रहित व्यापार करने का अवसर मिलेगा:

क. डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाना,
ख. विद्युत की लागत में कमी,
ग. डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी, और
घ. राज्यों के वित्तपोषण के साथ मिलकर डिस्कॉमों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना।

आपकी कंपनी परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/यूटिलिटी के साथ संपर्क करने के लिए भारत सरकार की सहायता कर रही है। इस कार्यक्रम ने पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों/डिस्कॉमों को आकर्षित किया है और अब 32 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उदय योजना का हिस्सा हैं। उदय योजना के उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा 2.09 लाख करोड़ रुपये मूल्य की डिस्कॉमों की देयताएं प्राप्त हो रही हैं और 0.24 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि बॉण्डों के आश्वासन के जरिए पुनर्गठित/पुनः कीमत तय की गई है; इस प्रकार डिस्कॉम के तुलन–पत्र दुरूस्त हो रहे हैं और वे पूंजीगत व्यय चक्र को पुनः शुरू करने में समर्थ हो रहे हैं, साथ ही सभी विद्युत क्षेत्र के हितधारकों अर्थात डिस्कॉम, ट्रांस्को, जेनको, आईपीपी, बैंकों/वित्तीय संस्थानों इत्यादि के वित्तीय रूप से व्यवहार्य प्रचालन भी हो रहे हैं।

6.7 ऊर्जा मित्र

ऊर्जा मित्र वितरण क्षेत्र की एक पहल है, और यह विद्युत मंत्रालय के मार्ग निर्देशन में आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी *(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड)* द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा इस प्रकार का पहला अनुप्रयोग है। ऊर्जा मित्र देश भर के शहरी/ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आउटेज की सूचना एसएमएस/ई–मेल/पुश अधिसूचनाओं के जरिए प्रदान करने के लिए राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों के लिए एक केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना प्लेटफॉर्म है। पूरे राष्ट्र में विद्युत के उपभोक्ताओं को एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफार्म के लिए एकीकृत मोबाइल अनुप्रयोग के जरिए आउटेज की अपडेट प्राप्त होती है। यह देश के किसी भी भाग में वास्तविक समय आधारित विद्युत आउटेज को देखने और विद्युत आउटेज पर शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। जून, 2020 की स्थिति के अनुसार 29 राज्यों के 52 डिस्कॉमों के करीब 22.06 करोड़ उपभोक्ताओं के डाटा इस ऐप्लिकेशन में अपलोड किए गए हैं और 279.37 करोड़ एसएमएस उपभोक्ताओं को भेजे जा चुके हैं।

6.8 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम

देश में पूरे वितरण नेटवर्क की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए और "सभी के लिए 24x7 विद्युत" की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण भारत के वास्तविक समय आपूर्ति मानदंडों को लेना अनिवार्य समझा गया है और इसकी प्राप्ति वास्तविक वितरण मानदंडों को लेकर अर्थात विद्युत आपूर्ति, बंदी तथा फीडर–वार ऊर्जा लेखा परीक्षा करके और एटीएंडसी हानियों का परिकलन करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता/गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के द्वारा की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा वितरण क्षेत्र सुधारों के तहत "11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम" शुरू की गई है और इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी *(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड)* को नियुक्त किया गया है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण फीडर मीटर के आंकड़े केंद्रीय मीटर आंकड़ा उत्सर्जन प्रणाली (एमडीएएस) को विश्लेषण के लिए भेजे जाते हैं और उसके बाद उन्हें सभी हितधारकों को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) पर एकीकृत किया जाता है।

इस योजना में सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों और उन 66/33 केवी आने वाले फीडरों, जहां से 11 केवी के ग्रामीण फीडर आ रहे हैं, के विभिन्न अनिवार्य पैरामीटर प्राप्त करके देश भर के करीब 1.1 लाख ग्रामीण और कृषि फीडरों के लिए एक आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और वेब आधारित ऑटोमेटिव प्रणाली विकसित करने तथा सभी हितधारकों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जून, 2020 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल पर 79,000 मॉडम संस्थापित और एकीकृत किए गए हैं।

6.9 तरंग

तरंग *(रियल टाइम निगरानी और विकास के लिए पारेषण ऐप)* पारेषण क्षेत्र की एक पहल है जिसका संचालन आपकी कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी *(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड)* के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। यह पारेषण प्रणाली की पैन इंडिया प्रगति के संबंध में सूचनापरक माध्यम है जिसे माह–वार, एजेंसी–वार, राज्य–वार विश्लेषण के लिए ड्रिल किया जा सकता है। रुकी हुई/विलंब वाली परियोजनाओं के ब्यौरे विलंब के कारणों सहित अलग से लिए गए हैं ताकि सभी संबंधित दावेदार परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर लाभ लेने के लिए समय पर सुधारात्मक निर्णय ले सकें। देश में तरंग पारेषण प्रणाली की प्रगति अर्थात प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीबीसीबी) तथा विनियमित प्रशुल्क तंत्र के माध्यम से अंतर्राज्यीय और अंतरा–राज्यीय दोनों की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है। तरंग भावी पारेषण परियोजनाओं के लिए आगे आने वाले बोलीदाताओं की मदद करते हुए पारेषण संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित आने वाली परियोजनाओं की अग्रिम सूचना प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, यह पूरे देश में पारेषण प्रणाली का रियल टाइम भंडार है।

7. वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण के साथ–साथ विद्युत उत्पादन (पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित), पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्रमुख वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार है:

7.1 उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 84 विद्युत उत्पादन/मरम्मत तथा अनुरक्षण/अन्य ऋण मंजूर किए हैं, जिनमें 09 अतिरिक्त ऋण भी शामिल हैं और इनकी कुल ऋण सहायता 55,811.89 करोड़ रुपये थी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अन्य वित्तीय संस्थाओं के वित्तपोषण की मात्रा शामिल है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	**82**	**50,734.18**
नया ऋण	74	42,208.04
अतिरिक्त ऋण	8	8,526.14
निजी क्षेत्र	**2**	**5,077.71**
नया ऋण	1	5,037.71
अतिरिक्त ऋण	1	40.00
कुल	**84**	**55,811.89**

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 17 नवीकरणीय परियोजनाएं मंजूर की हैं, जिनकी 7,026.33 करोड़ की कुल ऋण सहायता के साथ संस्थापित उत्पादन क्षमता मिलाकर 1,754 मेगावाट है। इसमें से, 7 सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजनाएं, जिनको मिलाकर 917 मेगावाट क्षमता, अन्य 7 पवन ऊर्जा परियोजनाएं, जिनकी मिलाकर क्षमता 837 मेगावाट है, 1 परियोजना एक लघु हाइड्रो परियोजना के लिए टरबाइन और जनरेटर यूनिट की खरीद और संस्थापना करने के लिए थी, 1 परियोजना डीडीयूजीजेवाई कार्यों के डीडीजी घटक के लिए थी और 1 ऋण एक राज्य डिस्कॉम को अपने नवीकरणीय क्रय दायित्वों को पूरा करने के लिए थी:

कर्नाटक में आरईसी द्वारा वित्तपोषित, रिन्यू ग्रुप की 50 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजना

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, स्वीकृत सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की कुल लागत मिलाकर ₹ 10,383.80 करोड़ है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
संस्वीकृत परियोजनाएं	संख्या	17	36
संस्वीकृत परियोजनाओं की क्षमता	मेगावाट	1,754	2,198
परियोजनाओं की लागत	₹ करोड में	10,383.80	17,273.54
आरईसी द्वारा संस्वीकृत ऋण	₹ करोड़ में	7,026.33	11,875.20

7.3 पारेषण और वितरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने कुल 592 पारेषण और वितरण योजनाएं/परियोजनाएं मंजूर की हैं, इसमें 41,604.77 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता शामिल है। इसमें राज्य क्षेत्र की 590 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें उत्पादन संयंत्रों, प्रणाली सुधार योजनाओं से जुड़ी प्राथमिक विद्युत निकासी योजानाओं, मीटर, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, टावर सामग्री, केबिल इत्यादि जैसे उपकरण/सामग्री की खरीद और संस्थापना की योजनाओं के लिए 40,324.15 करोड़ रुपये के कुल ऋण शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें कृषि उपभोक्ताओं सहित विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत सुलभ कराने के लिए डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और सौभाग्य तथा अवसंरचना योजनाओं जैसी सरकारी–अनुमोदित योजनाओं के तहत ऋण घटक भी शामिल हैं। इसके अलावा, 1,280.62 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि के साथ निजी क्षेत्र में 2 अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजनाएं थीं। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की सं.	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	**590**	**40,324.15**
पारेषण ऋण	252	17,285.12
वितरण ऋण	337	21,539.03
अल्पावधि/मध्यावधि एवं विशेष ऋण	1	1,500.00
निजी क्षेत्र	**2**	**1,280.62**
अंतर–राज्यीय पारेषण परियोजनाएं	1	639.20
अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजनाएं	1	641.42
कुल	**592**	**41,604.77**

आरईसी ने कुछेक हरित ऊर्जा कॉरीडोर पारेषण परियोजनाएं मंजूर की हैं और कुछ अन्य ऐसी ही परियोजनाएं मूल्यांकन/अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, प्रचलित बाजार की स्थितियों के अनुसार, आरईसी ने अधिक पारेषण परियोजनाएं आकर्षित करने के लिए परियोजना वित्तपोषण के लिए अपनी नीतियां बनाई और संशोधित की हैं।

7.4 अल्पावधि/मध्यावधि ऋण और अन्य ऋण सहायता

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के लिए अल्पावधि/मध्यावधि धनराशि की जरूरतों के लिए अथवा कार्यशील पूंजी आदि के लिए कुल 6,465 करोड़ रुपये के ऋण भी स्वीकृत किए हैं।

7.5 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कुल 5,855.49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसमें तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड की 6X200 मेगावाट हाइड्रो पावर परियोजना के संबंध में कंसोर्टियम ऋणदाताओं के लिए 4,948.10 करोड़ रुपये का सावधि ऋण का वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 492.24 करोड़ रुपये, और पूर्वोत्तर राज्यों में पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 415.15 करोड़ रुपये शामिल हैं।

7.6 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

आरईसी के निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए अपने दिशा–निर्देश हैं। प्रमोटर संस्थानों के वित्तीय निष्पादन, ऋण साख, प्रबंधन प्रवीणता और क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर प्रोमोटर/संस्था का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न तकनीकी मापदंडों जैसे सांविधिक मंजूरी, पीपीए, अवसंरना इत्यादि के आधार पर परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से, संस्था और परियोजना की मिली–जुली रेटिंग के आधार पर परियोजना की एकीकृत रेटिंग प्राप्त होती है। आरईसी की ब्याज दरें और सुरक्षा संरचना निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रदान किए गए ग्रेडों/एकीकृत रेटिंग से जुड़ी है।

वर्ष के दौरान, आरईसी ने परामर्शदाता के जरिए बदलती बाजार प्रक्रियाओं, विनियामक वातावरण, आरबीआई नीतियों इत्यादि को देखते हुए निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मौजूदा मूल्यांकन दिशा–निर्देशों की सीमित समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की है ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जा सके।

7.7 राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी की राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग के लिए सुपरिभाषित नीति/दिशा–निर्देश हैं। राज्य विद्युत यूटिलिटियों (उत्पादन/पारेषण और ट्रेडिंग) की ग्रेडिंग, विशिष्ट मापदंडों, प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन, विनियामक अनुपालन, वार्षिक वित्तीय परिणामों इत्यादि के लिए यूटिलिटी के निष्पादन में मूल्यांकन के आधार पर एक वर्ष में दो बार की जाती है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों (सेबी/एकीकृत प्रचालनों वाली यूटिलिटियों सहित) के संबंध में, आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फ्रेमवर्क/रेटिंग के अनुमोदन के बाद, स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों (केयर/आईसीआरए) द्वारा की गई अंतिम वार्षिक एकीकृत को अपनाती है।

वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए, आपकी कंपनी ने राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण और ट्रेडिंग यूटिलिटियों इत्यादि को "ए++", "ए+", "ए", "बी" और "सी" श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 131 यूटिलिटियों के संबंध में ग्रेडिंग पूरी की है, जिसमें से 31 यूटिलिटियों को "ए++", 37 को "ए+", 42 को "ए", 18 को "बी" और 3 यूटिलिटियों को "सी" श्रेणी के क्रम में ग्रेडिंग दी गई थी। आपकी कंपनी ने ईआरपी प्लेटफॉर्म पर राज्य की ग्रेडिंग के लिए एक मॉडल भी विकसित किया है।

7.8 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए निवेश

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के 10/– रुपये प्रत्येक के 7,16,10,000 इक्विटी शेयरों के लिए ईईएसएल के राइट्स ऑफ इश्यू ऑफर के तहत 71.61 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। इसके बाद, ईईएसएल में कंपनी की शेयरधारिता 21.70 प्रतिशत से बढ़कर 22.18 प्रतिशत हो गई है।

इसके अलावा, रत्तनइंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर, 2019 को निष्पादित एकबारगी निपटान की व्यवस्था के अनुसरण में, कंपनी को 10/– रुपये प्रत्येक के 9,25,68,105 इक्विटी शेयर, 10/– रुपये प्रत्येक के 2,87,20,978 रिडीमेबल प्रीफ्रेन्स शेयर और कंपनी के 10/– रुपये प्रत्येक के 4,33,03,616 वैकल्पिक परिवर्तनीय संचित रिडीमेबल प्रीफ्रेंस शेयर आबंटित किए हैं।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बैंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 के आदेश के तहत लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. के संबंध में अनुमोदित एक संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने उक्त आदेश के तहत ऐसे इक्विटी शेयरों के समापन के कारण इस कंपनी में 102 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश (10/– रुपये प्रत्येक के 10.20 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों सहित) को बट्टे खाते में किया है। इसके अलावा, आरईसी ने इस कंपनी के बायबैक ऑफर में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स) के 1 रुपये प्रत्येक के 2,28,789 इक्विटी शेयर बेचे हैं।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी की केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ ओडीए (सरकारी ऋण सहायता) ऋण की चार श्रृंखलाएं हैं जिनमें से तीन का दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार पूरी तरह से आरहण कर लिया गया है। केएफडब्ल्यू–I और केएफडब्ल्यू–II ओडीए ऋण प्रत्येक 70 मिलियन यूरो (क्रमशः लगभग 454.02 रुपये करोड़ और 480.97 करोड़ रुपये), केएफडब्ल्यू–III 100 मिलियन यूरो (लगभग ₹ 753.73 करोड़) है। केएफडब्ल्यू से 228 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चौथी ऋण श्रृंखला में से दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 161.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1,157.38 करोड़ रुपये) का आहरण कर लिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, आरईसी की जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए ऋण की दो श्रृंखलाएं हैं। उनमें से दोनों का पूरी तरह आहरण कर लिया गया है। जेआईसीए–I और II ओडीए ऋणों के तहत, दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 16,949.38 मिलियन जेपीवाई (लगभग 820.12 करोड़ रुपये) और 11,809.48 मिलियन जेपीवाई (लगभग 640.64 करोड़ रुपये) की संचित राशि का आहरण किया गया है।

9. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सरकारी कार्यक्रमों का निष्पादन और उपलब्धियां

9.1 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान भारत सरकार की सभी तीनों योजनाओं अर्थात डीडीयूजीजेवाई, जम्मू व कश्मीर के लिए पीएमडीपी–2015, सौभाग्य के तहत निष्पादन और उपलब्धि

क. **स्वीकृतिः** वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्य को डीडीयूजीजेवाई के तहत 143.97 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

ख. **जारी धनराशिः** भारत सरकार की सब्सिडी आरईसी के माध्यम से प्रदान की जाती है और बराबरी का अंशदान संबंधित राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उनके अपने ऋणों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान राज्यों को 6,475 करोड़ रुपये की भारत सरकार की सब्सिडी जारी की गई है।

ग. **अवसंरचना के सृजन की वास्तविक प्रगतिः वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, निम्नलिखित कार्य पूरे हो गए हैं:**

(i) सब–स्टेशनों में वृद्धि सहित उन्हें चालू करनाः 1,729

(ii) एचटी लाइन फीडर पृथक्करण (नई 11 केवी लाइनों सहित): 1,97,019 सीकेएम

(iii) एलटी लाइनें: 4,61,875 सीकेएम

(iv) वितरण ट्रांसफार्मरों को चालू करनाः 4,96,181

(v) उपभोक्ता मीटरों की संस्थापनाः 45,53,651

(vi) वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडरों की मीटरिंगः 14,589

घ. **घरों के विद्युतीकरण की प्रगतिः** वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, सौभाग्य के तहत 13.92 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया।

9.2 दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचित निष्पादन

क. **स्वीकृति और जारी करनाः** उपरोक्त सरकारी कार्यक्रमों के तहत दिनांक 31 मार्च, 2020 तक 1,40,309 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है और कार्यान्वयन एजेंसियों को संचित रूप से 81,855.56 करोड़ रुपये का भारत सरकार का अनुदान वितरित किया गया है।

ख. **अवसंरचना के सृजन की वास्तविक प्रगतिः** उपरोक्त सरकारी कार्यक्रमों के तहत, अपनी शुरूआत से लेकर 31 मार्च, 2020 तक संचित रूप से निम्नलिखित कार्य पूरे हो गए हैं:

(i) सब–स्टेशनों में वृद्धि सहित उन्हें चालू करनाः 6,574

(ii) एचटी लाइन फीडर पृथक्करण (नई 11 केवी लाइनों सहित) : 8,01,764 सीकेएम

(iii) एलटी लाइनें : 12,59,560 सीकेएम

(iv) वितरण ट्रांसफार्मरों को चालू करना: 15,74,215

(v) उपभोक्ता मीटरों की संस्थापना: 1,40,04,143

(vi) वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडरों की मीटरिंग: 1,85,438

ग. **घरों के विद्युतीकरण की प्रगति:** राज्यों/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रयासों से सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 11 अक्तूबर 2017 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान 2.63 करोड़ घरों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा, 7 राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने ऐसे अतिरिक्त 19.09 लाख गैर–विद्युतीकृत घरों को बिजली प्रदान करने के लिए सकल विस्तार का अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो पहले बिजली लेने के इच्छुक नहीं थे और अब मार्च, 2019 से पहले अपनी इच्छा प्रकट की थी। इनमें से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख घरों को विद्युतीकृत किया गया था।

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनीटरिंग

आपकी कंपनी ने राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण प्रणाली में निरंतर तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देशनों और निर्माण संबंधी मानकों का राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा व्यापक उपयोग किया जाता है। कंपनी नई प्रौद्योगिकियो को बढ़ावा देने के लिए, विद्युत वितरण के क्षेत्र में नवीनतम आरएंडडी का उपयोग करके नवोन्मेषों की सहायता कर रही है।

सरकारी कार्यक्रमों के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अनुसार फील्ड और सामग्री निरीक्षण करने के लिए आरईसी गुणवत्ता निगरानीकर्ता (आरक्यूएम) की नियुक्ति की गई है ताकि ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सामग्री और कार्यों की समुचित गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। आरक्यूएम ने निर्माण परिसरों में कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 33,609 गांवों का फील्ड निरीक्षण और 1208 सामग्री निरीक्षण किए हैं।

आरईसी ने राष्ट्रीय और आरईसी गुणवत्ता मॉनीटरों के गुणवत्ता निरीक्षणों का डिजीटाइजेशन करने के लिए एक ऑनलाइन गुणवत्ता पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल दिनांक 27 मई, 2019 को शुरू किया गया था।

आरईसी ने डिस्कॉम/पीआईए द्वारा आरक्यूएम एजेंसियों के अवलोकन तथा अनुपालन अपलोड करने के लिए एक मोबाइल ऐप "साक्ष्य" भी विकसित किया है। यह मोबाइल ऐप 27 मई, 2019 से शुरू हो गया है।

11. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें ऋण जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं।

11.1 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के एकीकृत जोखिमों की निगरानी करने के लिए अपने निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है। आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की निगरानी करना और साथ ही कंपनी के प्रचालन और अन्य संगत मामलों में जोखिम को कम करने के लिए कार्य का सुझाव देना है। इसके अलावा, आरबीआई मानकों के तहत अपेक्षानुसार कंपनी ने एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है।

कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान की है और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं। जोखिमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वित्तपोषण उद्योग में अंतर्निहित जोखिम होता है और इसमें उधारकर्ता के क्रेडिट की गुणवत्ता में कमी से होने वाली हानियों का जोखिम शामिल होता है और यह जोखिम होता है कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के अधीन संविदा में उल्लिखित पुनर्भुगतान में चूक करेगा। इसे कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन हेतु सुव्यवस्थित, संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रविधि, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा क्रेडिट जोखिम को न्यूनतम करने के उपाय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित आधार पर परियोजना निधियों की समीक्षा की जाती है और विभिन्न जोखिम मानदंडों के आधार पर तथा परियोजना जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचे के अनुसार परियोजना की स्थिति के आधार पर उन्हें उचित/सामान्य/कम के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है।

(ii) प्रचालनात्मक जोखिम

प्रचालनात्मक जोखिम अपर्याप्त अथवा विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों अथवा बाह्य क्रियाकलापों से उत्पन्न होते हैं। कंपनी में एक संगठन व्यापी जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचा है जिसके माध्यम से सभी प्रचालनात्मक जोखिमों को मापा जाता है और उच्च/सामान्य/कम के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के प्रचालनात्मक जोखिमों का अध्ययन व्यापार, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून, प्रचालनात्मक और नीतिगत जैसे आठ प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में किया जाता है। कंपनी ने कार्यों के दौरान प्रचालनात्मक जोखिमों की पहचान करने, उपाय करने, निगरानी करने और उन्हें दूर करने के लिए पूरे संगठन का एक जोखिम रजिस्टर कार्यान्वित किया है।

(iii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ जुड़ी परिपक्वता असंगतता के कारण होते हैं। लिक्विडिटी जोखिम में संपत्तियों में वृद्धि, स्रोतों के वित्तपोषण में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और अपेक्षानुसार दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण हेतु कंपनी की असमर्थता शामिल है।

(iv) बाजार जोखिम

कंपनी के बाजार जोखिम को कंपनी की आय जोखिम और बाजार की ब्याज दर अथवा प्रतिभूतियों की कीमतों में परिवर्तनों के कारण पूंजी, विदेशी विनिमय, तथा साथ ही परिवर्तनों के उल्लंघनों के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। बाजार के जोखिमों में ब्याज दर के जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं।

11.2 एलको समिति

कंपनी ने अपने बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए वित्त और प्रचालन प्रभागों से अपने निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एलको) का गठन किया है। एलको ब्याज दरों, लिक्विडिटी और करेंसी दरों के संबंध में जोखिमों की निगरानी करने के लिए नियमित अंतराल पर बैठकें करती है।

ब्याज दर जोखिम बाजार ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विद्युत बाजार की प्रचलित दरों के आधार पर अपनी उधार देने की दरों और उधार लेने की भारित औसत लागत की आवधिक रूप से समीक्षा करती है।

लिक्विडिटी जोखिम देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने में हमारी संभावित असमर्थता संबंधी जोखिम होता है। आरईसी ऐसे लिक्विडिटी जोखिमों का सामना करती है, जिनके कारण निधियों को जुटाने या प्रतिकूल शर्तों पर परिसंपत्तियों की लिक्विडिटी करने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। इस जोखिम का प्रबंधन ऐसी मिश्रित कार्यनीति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें अनुमानित संवितरण और परिपक्व देयताओं पर आधारित संसाधन जुटाने का अनुमान लगाना शामिल है।

विदेशी मुद्रा जोखिम में विनिमय दर की घट–बढ़ शामिल है जिसका विदेशी मुद्रा, मूल्यवर्धित परिसंपत्तियों, देयताओं और तुलन–पत्र से इतर व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से करती है।

12. अधिमानी ग्राहक नीति

व्यवसाय संवर्धन कार्यनीति के भाग के रूप में, अधिमानी ग्राहक नीति 2008 में तैयार की गई, जिसका मूल उद्देश्य कंपनी के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था और उनके साथ लंबे समय तक परस्पर लाभप्रद संबंध बनाए रखना था। इस नीति में पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अधिमानी ग्राहकों का निर्धारण करने और उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों और आरईसी–आईपीएमएटी, आरईसी का हैदराबाद स्थित इन–हाउस प्रशिक्षण संस्थान, द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण, घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय विचार–गोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रायोजित करने के लिए उधारकर्ता की बकाया ऋण राशि, ऋण संबंधी अवधि, ऋण के पुनर्भुगतान का पिछला रिकार्ड आदि जैसे विभिन्न कारक ध्यान में रखे जाते हैं।

13. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहलें

(i) **आरईसी में चल रहे ईआरपी के नवीनतम रुप का कार्यान्वयन:** आरईसी ने 2009 के प्रचालन में मौजूदा ई–बिजनेस ईआरपी (ओरेकल ई–बिज सूट 11i) को बदलकर नवीनतम रुप आर12.2.7 को शुरु किया है और ईआरपी हार्डवेयर के स्थान पर आरईसी डाटा सेंटर में प्राइवेट क्लाउड परिवेश चालू किया है। नया ईआरपी जीएसटी और भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस) को सपोर्ट करता है और इसमें उन्नत सुविधाएं हैं जिससे कंपनी के कारोबारी प्रचालनों का आगे ऑटोमेशन करने में सुविधा मिलेगी। ईआरपी सिस्टम को कारोबारी प्रक्रियाओं के आगे ऑटोमेशन करने के लिए नए फीडर लाकर निरंतर उन्नत किया गया है।

(ii) **इलैक्ट्रॉनिक ऑफिस सिस्टम (ई–ऑफिस):** ऑटोमेटेड वर्क फ्लो और इलैक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रबंधन फीडर के साथ ई–ऑफिस से संगठनों के कार्यों में प्रमुख बदलाव आया है, क्षमता और पारदर्शिता में सुधार आया है और यह कम पेपर की खपत के लिए एक हरित पहल के रूप में कार्य करता है। सिस्टम में नई विशिष्टताएं जोड़कर इसमें निरंतर सुधार किया जा रहा है।

(iii) **कंपनी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि:** पूरे संगठन में एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा को पूरी तरह से नए नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों, बैंडविड्थ में वृद्धि और उच्च उपलब्धता फीडर के साथ बदला गया है ताकि प्रचालनों की मांग की जरूरत पूरी हो सके। सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क से यूजर्स को रिमोट स्थानों से आरईसी नेटवर्क से जुड़ने और बिना रुकावट के निर्बाध प्रचालनों के लिए कारोबारी अनुप्रयोग प्राप्त करने की सुविधा हुई है।

(iv) **वीडियो कांफ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार:** आरईसी के वीडियो कांफ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया है ताकि तीव्रता से निर्णय लेने और यात्रा की लागत और समय को बचाने के लिए कंपनी के सभी कार्यालयों में बैठकों/विचार–विमर्श की सुविधा मिल सकेगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग विद्युत मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, बोर्ड व समिति की बैठकों तथा अन्य कारोबारी व समीक्षा बैठकों के लिए भी किया जाता है।

(v) **प्राथमिक आंकड़ा केंद्र (पीडीसी) और आपदा राहत केंद्र (डीआरसी):** आरईसी की पीडीसी और डीआरसी, दोनों आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और भारत सरकार की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का भी अनुपालन करती हैं। आरईसी

ने निगम नेटवर्क से बाहर गोपनीय एवं महत्वपूर्ण सूचना देना रोकने के लिए डीसी और डीआर में डाटा लिंकेज एवं प्रिवेंशन (डीएलपी) प्रणाली भी कार्यान्वित की है।

(vi) **आरबीआई के मास्टर अनुदेशों के अनुसार आईटी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयनः** आरईसी ने आरबीआई के आईटी सुरक्षा निर्देशों को एनबीएफसी क्षेत्र के लिए जारी किए गए आईटी फ्रेमवर्क के संबंध में अपने मास्टर अनुदेशों के अनुसार कार्यान्वित किया है।

(vii) **ऑनलाइन कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणालीः** मूल्यांकन की प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए और अपना कार्य निष्पादन मूल्यांकन ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन निष्पादन प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। आरईसी ने बेहतर ई–गवर्नेंस हासिल करने के लिए अपनी आईटी पहलों के भाग के रूप में अनेक इन हाउस विकसित प्रणाली भी तैयार की हैं।

(viii) **खरीद में पारदर्शिता के लिएः** 2 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद एक ई–खरीद प्रणाली के जरिए ऑनलाइन की जा रही हैं। यह प्रणाली सीवीसी दिशा–निर्देशों और आरईसी खरीद दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित ई–रिवर्स ऑक्शन मानकों का अनुपालन करती है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद भी सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जैम) पोर्टल के जरिए की जाती है। मौजूदा बिल ट्रेकिंग प्रणाली में सुधार किया गया है और ईआरपी प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि वेंडर के बिलों और भुगतान के संचालन और समय पर उन्हें प्रस्तुत करने को ट्रेक किया जा सके।

(ix) **केंद्रीकृत प्रिंटिंग सॉल्यूशन का कार्यान्वयनः** हरित पहलों और कम कागजी खपत के लिए कारपोरेट कार्यालय में डेस्क पर, जहां भारी प्रिंटिंग की जाती है, केंद्रीकृत प्रिंटिंग सॉल्यूशन कार्यान्वित किया गया है।

(x) **भारत सरकार की पहलों का संवर्धनः** आरईसी संगठन के भीतर माइ गव, ई–गवर्नेंस, भुगतानों के अंकीय पद्धति संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों जैसी भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों को सुगम बनाती है और उनका संवर्धन करती है।

(xi) **कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटिंग सुविधा प्रदान करनाः** आरईसी में कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर का अनुपात 100 प्रतिशत है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर्मचारियों के कम्प्यूटर कौशलों का उन्नयन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है और प्रशिक्षण प्रदान भी करता है।

14. आरईसी इंस्टीस्ट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग

आरईसी इंस्टीस्ट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसी–आईपीएमटी) *(पूर्ववर्ती सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन)* की स्थापना विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों की प्रशिक्षण एवं विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरईसी के तत्वाधान में 1979 में हैदराबाद में की गई थी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से मान्यताप्राप्त आरईसीआईपीएमटी चार से अधिक दशकों से विद्युत क्षेत्र के मानव संसाधन विकास के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रहा है।

14.1 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्रशिक्षण क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने तकनीकी, प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में ऊर्जा संरक्षण तक विभिन्न थीम और विषयों पर 132 कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। कुल मिलाकर आरईसीआईपीएमटी ने 3109 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है जिससे समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 11,993 प्रशिक्षण दिवसों की उपलब्धि हासिल की है।

14.2 साक्ष्य पोर्टल पर कार्यशाला और अभिमुखीकरण

आरईसीआईपीएमटी को पावर डिस्कॉम के इंजीनियरों, टर्न की ठेकेदारों, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों और गुणवत्ता मॉनीटरों को डीडीयूजीजेवाई/सौभाग्य योजनाओं के तहत विकसित ऑनलाइन क्वालिटी पोर्टल "साक्ष्य" पर प्रशिक्षण का कार्य दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युतीकरण और विद्युत वितरण के कार्यान्वयन के संबंध में गुणवत्ता पहलुओं, मानकों, निर्माण प्रक्रियाओं इत्यादि की सूचना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता लाई जा सके।

वर्ष के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए "साक्ष्य" पोर्टल पर एक कार्यशाला और कुल मिलाकर 1341 प्रतिभागियों के लिए देश भर में डिस्कॉम मुख्यालयों पर "साक्ष्य" पोर्टल के संबंध में अभिमुखी प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।

14.3 "व्यवहार कौशल" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी को "व्यवहार कौशल" पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके विभिन्न विद्युत यूटिलिटी के ए और बी संवर्ग के कार्यपालकों के क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा गया है। ये कार्यक्रम आरईसी द्वारा विद्युत क्षेत्र के सुधार के लिए प्रायोजित किए गए थे। वर्ष के दौरान देश भर में ऑनसाइट कार्यक्रमों के रूप में 1,191 कार्यपालकों की भागीदारी के साथ कुल 50 बैच चलाए गए थे।

14.4 विदेश मंत्रालय की आईटीईसी योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (एमईए) द्वारा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पैनलबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत वितरण प्रबंधन में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (6 सप्ताह), सौर विद्युत संयंत्रों को चालू करने की संकल्पना (6 सप्ताह), ईएचवी सब–स्टेशनों का डिजाइन, निर्माण, प्रचालन, रख–रखाव और संरक्षण (6 सप्ताह), विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली की योजना और प्रबंधन (6 सप्ताह), ग्रामीण विद्युतीकरण और

विद्युत प्रबंधन में उभरती प्रवृत्तियां (6 सप्ताह), विद्युत प्रबंधन में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (5 सप्ताह), और विद्युत उत्पादन संयंत्रों की योजना, प्रचालन और रख–रखाव (6 सप्ताह) विषयों पर कुल 144 प्रतिभागियों के साथ 7 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विभिन्न देशों यथा अफगानिस्तान, अजरबैजान, अंगोला, अल्जीरिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रूनेई, बोट्सवाना, कंबोडिया, इथोपिया, इक्वाडोर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गांबिया, गुयना, घाना, होंडुरस, केन्या, लेबनान, म्यांमार, मोजांबिक, मंगोलिया, मॉरीशस, नाइजीरिया, समोआ, दक्षिणी सूडान, सेसेल्स, सूडान, स्वाजीलैंड, सियेरा लियोन, तंजानिया, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, वियतनाम, जिम्बाब्वे इत्यादि देशों से प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

आरईसीआईपीएमटी, हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

14.5 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के कार्मिकों के लिए विभिन्न विषयों पर यथा विद्युत की चोरी – मुद्दे, चुनौतियां और सुधारात्मक उपाय, सौर विद्युत संयंत्रों और ग्रिड समर्थता को चालू करने की संकल्पना, विद्युत प्रणाली संरक्षण और वितरण हानि में कमी – मुद्दे, चुनौतियां और सुधारात्मक उपाय, वितरण ट्रांसफार्मर प्रचालन, रख–रखाव और विफलता को कम करना, विद्युत ट्रांसफार्मर – परीक्षण, चालू करना, संरक्षण करना और रख–रखाव करना, जीएसटी – हाल के परिवर्तन, विकास और चुनौतियां तथा श्रम कानून – कर्मचारी क्षतिपूर्ति और अनुबंध श्रम अधिनियम – कोर्ट केस के संबंध में कार्य प्रक्रिया पर 8 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उपरोक्त कार्यक्रमों में कुल 71 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

14.6 अनुकूलित कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने वर्ष के दौरान 9 अनुकूलित कार्यक्रम आयोजित किए, जो यूटिलिटी की अपेक्षाओं के अनुकूल तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम में सब–स्टेशन का रख–रखाव, परीक्षण, अनुमानित रख–रखाव, अर्थिंग, सुरक्षा, नियम और विनियम, आईएस (3 बैच), ईएचवी सब–स्टेशनों के लिए स्थिति निगरानी और जीवन चक्र प्रबंधन प्रक्रियाएं (1 बैच), पारेषण प्रणाली (लाइन और सब–स्टेशन) का संरक्षण, जिसमें रिले समन्वय और बस–बार संरक्षण शामिल है (2 बैच) और एमएईटीसीएल के लिए आरईसीआईपीएमटी परिसर में नेटवर्क कंजेशन प्रबंधन और विनियामक मामले (1 बैच) तथा एमपीपीकेवीवीसीएल, इंदौर में विद्युत वितरण प्रबंधन में विद्युत वितरण और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं में दक्षता सुधार उपायों पर ऑनसाइट प्रशिक्षण शामिल है। कुल मिलाकर 221 प्रतिभागियों को इन अनुकूलित कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया गया था।

14.7 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईसी के कर्मचारियों के लिए 3 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया और इन कार्यक्रमों में 67 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस विषय में सौर विद्युत संयंत्र को चालू करने के लिए संकल्पना शामिल थी, जिसमें विद्युत क्षेत्र में प्रचालन व रख–रखाव, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन का प्रबंधन, और खरीद दिशा–निर्देशों तथा जैम पोर्टल का उपयोग करना शामिल था।

14.8 विशेष कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईसी के कर्मचारियों सहित विद्युत क्षेत्र के कार्यों के लिए विद्युत वितरण प्रणाली का परियोजना प्रबंधन और आरईसी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए क्षमता विकास – विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन का प्रबंधन पर 2 विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिनमें 54 कार्यपालकों ने भाग लिया।

14.9 आरईएनएसी, जर्मनी के साथ सहयोग कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईएनएसी – द रिन्युबल एकेडमी एजी, जर्मनी के सहयोग से भारत के लिए सह–लाभ की नवीकरणीय ऊर्जा के साथ सुस्थिर विद्युत प्रणाली आयोजना के संबंध में दो दिवसीय प्रायोजित कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में कुल 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

15. आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

कंपनी ने देश भर में कारपोरेट कार्यालय के छः प्रमुख प्रभागों तथा 18 क्षेत्रीय कार्यालयों/उप कार्यालयों में दावों की प्रक्रिया के लिए आईएसओ 9001:2015 मानकों के तहत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां कार्यान्वित की हैं।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी कार्यपालकों को संख्या को पेशेवर बनाने के लिए, और साथ ही युवाओं को शामिल करने के लिए, 37 कार्यपालकों की वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कैम्पस भर्ती के जरिए नियुक्ति की गई थी। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल जनशक्ति 468 कर्मचारियों की थी, जिसमें 385 कार्यपालक और 83 गैर–कार्यपालक शामिल थे।

16.1 रोजगार में आरक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का समूह–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

समूह	कर्मचारियों की संख्या					
	कुल		एससी		एसटी	
	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
क	**385**	346	**43**	34	**17**	13
ख	**36**	75	**05**	12	**0**	2
ग	**47**	66	**16**	18	**1**	1
कुल	**468**	487	**64**	64	**18**	16

टिप्पणी: पूर्ववर्ती घ श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कार्मिक, ग श्रेणी में शामिल हैं, इनका अब डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार विलय कर दिया गया है।

16.2 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

कर्मचारियों के समग्र विकास सहित क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में और निष्पादन की उच्च सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और एचआरडी पर प्राथमिकता दी जाती रही। कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी निष्पादन के लिए अपेक्षित कारोबार कौशल तथा सक्षमता को तेज करना तथा अपना निष्पादन और उत्पादकता सुधारने के लिए कर्मचारियों को सभी संभव अवसर उपलब्ध कराना और उनकी सहायता करना है। व्यावसायिक अपेक्षाओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और सामाजिक–आर्थिक परिवेश, जिसमें कंपनी का कारोबार किया जाता है, के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मचारियों को आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने 342 कर्मचारियों को देश के भीतर और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं आदि के लिए भेजा। इन पहलों से कुल मिलाकर कंपनी 2,402 प्रशिक्षण श्रम दिवस आयोजित कर सकी। इसके अतिरिक्त, 19 कार्यपालकों को विदेशों में कार्यक्रमों के लिए भेजा गया।

16.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारिक सदस्यों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाओं के लिए लगाया गया। कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा प्रयोग के लिए खेल–कूद एवं मनोरंजन उपकरणों का भी वित्तपोषण किया है ताकि उनके समग्र स्वास्थ्य को अच्छा रखने को बढ़ावा मिले।

खेल गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने नई दिल्ली में इंटर–सीपीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी की और विद्युत खेल–कूद नियंत्रण बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वाधान में विभिन्न विद्युत क्षेत्र सीपीएसयू द्वारा आयोजित टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस आदि जैसे विभिन्न इंटर सीपीएसयू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए अपने कर्मचारी भी भेजे। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रश्नोत्तरी, पेपर प्रस्तुतीकरण और सिम्युलेशन प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया।

16.4 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 80 स्थायी महिला कर्मचारी थीं जो कुल जनशक्ति का 17.09 प्रतिशत है। लैंगिक आधार पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं है। महिला कर्मचारियों के कल्याण और उनके समग्र विकास का ध्यान रखने के लिए कंपनी में एक महिला प्रकोष्ठ प्रचालनरत है। आरईसी महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

आरईसी महिला कर्मचारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का आयोजन

16.5 औद्योगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहा। औद्योगिक अशांति के कारण श्रम दिवसों की कोई हानि नहीं हुई। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी एसोसिएशन के साथ नियमित रूप से विचार–विमर्श किया गया। इससे विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाने में सहायता मिली जिससे प्रेरक जनशक्ति बनी और कारोबार निष्पादन में सुधार हुआ। गैर–कार्यपालकों के लिए मजदूरी संशोधन 1 जनवरी, 2017 से कार्यान्वित किया गया है।

16.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

आपकी कंपनी में बड़े पैमाने पर जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली है। कंपनी ने निर्धारित समय–सीमा के भीतर शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में नोडल अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की है।

17. निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास

कंपनी की अपनी निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास नीति है जो कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के प्रावधनों और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए सीएसआर और धारणीय विकास के लिए दिशा–निर्देशों के अनुरूप बनाई गई है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास पहल को अपनाया है ताकि राष्ट्रीय विकास एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण चिंता के मामलों को प्राथमिकता देकर एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में सामाजिक लाभ की परियोजनाओं का वित्तपोषण और उनमें सहायता कर सके तथा एक व्यापक क्षेत्र में लाभार्थियों तक पहुँचा जा सके ताकि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। आरईसी द्वारा स्वच्छता और सफाई, स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं का संवर्धन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण अवसंरचना विकास के क्षेत्र में समावेश सामाजिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सीएसआर पहलें की गई हैं।

आरईसी ने दिल्ली एनसीआर में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कंस्ट्रक्शन कैम्पों में मोबाईल स्कूल के रूप में चलने वाली बस प्रदान की

डीपीई ने वर्ष 2019–20 के लिए स्वास्थ्य देख–रेख, पोषण और स्कूल शिक्षा के विषयगत क्षेत्र में अधिमानतः आकांक्षी जिलों में अपने सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत खर्च करने के लिए सीपीएसई के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। कंपनी ने उपरोक्त विषयगत क्षेत्रों में कंपनी को किए गए आकांक्षी जिलों में कल्याणकारी कार्य में सहायता के लिए काफी हद तक अपने प्रयासों में वृद्धि की है। कंपनी ने स्कूल शिक्षा में बदलाव करने और ओडिशा में गजपति, मिजोरम में ममिट, नागालैंड में किफिरे, बिहार में मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, मणिपुर में चंदेल और सिक्किम में पश्चिमी सिक्किम आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के उद्देश्य से परियोजनाएं शुरू कीं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 156.68 करोड़ रुपये का सीएसआर बजट अनुमोदित किया था। इसके अलावा, डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीएसआर बजट कालातीत नहीं है और कोई भी अपर्याप्त शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे ले जाई जाती है ताकि उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो सके जिसके लिए यह आबंटित की गई थी। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल राशि 399.85 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 156.68 करोड़ रुपये और विगत वर्षों में आगे ले जाई गई राशि 243.17 करोड़ रुपये) है। इसमें से कुल 258.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी और कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए 281.62 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान पूरे भारत में भोजन/राशन के पैकेटों का वितरण

इसके अलावा, कंपनी ने प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आकस्मिक स्थितियों में राहत (पीएम केयर्स) कोष के लिए 150 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता का योगदान दिया है ताकि वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के चलते उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सके। कंपनी ने श्रमिकों/जरूरतमंद लोगों को खाना/राशन, यूटिलिटी पैकेट इत्यादि प्रदान करने के लिए और साथ ही कोविड–19 माहमारी के कारण प्रभावित विभिन्न भारतीय स्थलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों को चिकित्सा उपकरण प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपये का आबंटन भी किया है।

18. सतर्कता कार्यकलाप

आरईसी द्वारा कर्मचारियों के बीच ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की भावना लाने तथा सभी प्रचालनात्मक क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। आरईसी के सतर्कता प्रभाग का मुख्य लक्ष्य नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर कार्यरत कार्मिकों की बदली/स्थानांतरण ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं/निविदाओं/अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य कार्यालयों के निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) आदि की समीक्षा करके "निवारक सतर्कता" रखना है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)/विद्युत मंत्रालय के अनुदेशों के अनुपालन में अभिज्ञात संवेदनशील पदों से रोटेशनल स्थानांतरण के मामले पर निरंतर कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, सीवीसी और विद्युत मंत्रालय को समय पर निर्धारित आवधिक सांख्यिकी रिटर्न भी भेजी गई। लेखा परीक्षा रिपोर्ट अर्थात आंतरिक, सांविधिक और सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की नियमित रुप से समीक्षा की गई। परियोजनाओं/निविदाओं और प्रदान किए गए अनुबंधों की समीक्षा और जहां कहीं विचलन पाया गया उस मामले को संबंधित प्रभाग को भेजा गया जिससे मूल्यांकन प्रणाली/दिशानिर्देशों को सुदृढ़ बनाया जा सका। क्षेत्रीय कार्यालयों का फील्ड निरीक्षण और एपीआर की जांच की गई।

प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग पर बल दिया जाता रहा जिससे ऋणों, योजनाओं, निविदाओं, तीसरे पक्षकार बिलों आदि से संबंधित सूचना ऑनलाइन है। वर्ष के दौरान, आरईसी में एचआर नीतियों जैसे भर्ती की प्रक्रिया, लीन नीति और प्रोन्नतियों की जांच की गई और प्रबंधन के ध्यान में व्यक्तिपरक और अपारदर्शी क्लॉज लाई गई। संशोधित भर्ती नीति दिनांक 19 सितंबर, 2019 को अधिसूचित की गई है। इसके अलावा, आरईसी की आचरण नियमावली डीपीई द्वारा संस्तुत आचरण नियमावली के अनुसार लाई गई।

चूक के बारे में समय पर पता लगाने और ऐसे मामलों में कमी लाने के लिए एक सतर्कता निगरानी प्रणाली विकास की गई है, जिनमें संगठन के विभिन्न कार्यों जैसे खरीद और संविदा, बिल ट्रेकिंग, ऋणों, परिसंपत्तियों और कर्मचारी भुगतान (चिकित्सा और यात्रा) शामिल हैं। स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को ऋणों से संबंधित मामलों की सीएंडएजी की टिप्पणियों के आलोक में जांच की गई और यह पाया गया कि ईपीसी ठेकेदारों के मूल्यांकन और इसके अनुभव से संबंधित कतिपय मामलों, निष्पादन गारंटी की पर्याप्तता, एलई/एलएफए रिपोर्टों की निगरानी तथा धनराशि का अंतरण इत्यादि को संशोधित दिशा–निर्देशों में शामिल किए जाने की जरूरत है। तद्नुसार, एक परामर्शी जारी की गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि निविदाओं, अपेक्षित फार्मों, ऋण अनुप्रयोगों की स्थिति/तृतीय पक्ष भुगतानों, पारदर्शी प्रक्रिया संहिता, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति, सीएसआर दिशा–निर्देश, व्हीसल ब्लोअर नीति इत्यादि आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2 लाख रुपये से अधिक की लगभग सभी निविदाओं की ई–खरीद के माध्यम से कार्रवाई की गई है। यदि खरीद का अनुमानित मूल्य और उल्लिखित कीमत कुछ मानदंडों से अधिक होती है तो ई–रिवर्स नीलामी भी की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एक सतर्कता मामला जो छोटी प्रकृति का है, लंबित था और कोई भी सतर्कता मामला निपटाया नहीं गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

इस वर्ष, आपकी कंपनी ने केवल एक सप्ताह मनाने की बजाय "सतर्कता जागरूकता माह" मनाया। सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इन्ट्रा स्कूल क्रेयोन पेंटिंग और पैराग्राफ लेखन प्रतियोगिताएं स्कूलों में आयोजित की गईं और दिल्ली के कॉलेजों में इंटर–कॉलेज नुक्कट नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न क्रियाकलाप जैसे क्विज, कहानी, पेंटिंग, सेल्फी और कोलाज मेकिंग का भी आरईसी के कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए आयोजन किया गया। इसके अलावा, आरईसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में उपभोक्ता जागरूकता और आरटीआई पर सेमिनार भी आयोजित किए गए। कारपोरेट संस्वीकृति के भीतर एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए, बाहरी अनुभवी शिक्षण सत्र के जरिए स्व–मूल्यांकन और टीम निर्माण पर एक सत्र के लिए युवा कार्यपालकों को शामिल किया गया। आरईसी ने ऐसे "एकता क्लब" के जरिए युवा स्कूली बच्चों को सतर्क नागरिक बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे, जो अब देश भर में 32 स्कूलों में हैं। इसके अलावा, आरईसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और सहायक कंपनियों में भी क्रियाकलाप आयोजित किए गए।

19. राजभाषा का कार्यान्वयन

सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए, आरईसी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2019–20 में दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए। हमारी कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है ताकि राजभाषा का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके और राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 28 फरवरी, 2020 को आरईसी के राज्य कार्यालय, वड़ोदरा का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया। विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने भी दिनांक 14 जनवरी, 2020 को आरईसी के कारपोरेट कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। इन निरीक्षणों से कर्मचारियों के बीच अपने शासकीय कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए जागरूकता आई है।

कारपोरेट कार्यालय में और साथ ही कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य कार्यालयों में 14 सितंबर, 2019 से 28 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान कारपोरेट कार्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कर्मचारियों ने सभी आयोजनों और प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए ताकि अधिक से अधिक भागीदारी हो सके और कर्मचारियों को उनके दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

सभी आरईसी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के विभिन्न पहलुओं के लिए प्रतिभागियों के लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। आरईसी राज्य कार्यालय, शिमला को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) का प्रथम पुरस्कार मिला।

नोडल हिंदी अधिकारियों के लिए दिनांक 25–26 अप्रैल, 2019 के दौरान तिरूवनंतपुरम में दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस वर्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू), जयपुर के तत्वाधान में क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा एक अंतर–पीएसयू वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

आपकी कंपनी हिंदी पत्रिका "ऊर्जायन" प्रकाशित कर रही है, जिसमें कर्मचारियों की मनोरंजक और लाभप्रद रचनाएं तथा साहित्यिक लेखन शामिल हैं। कर्मचारियों को पत्रिका के लिए हिंदी में लेख, कविताएं आदि लिखने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से कंपनी ने इसमें योगदान के लिए नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की नीति अपनाई है।

आरईसी की हिंदी गृह–पत्रिका 'ऊर्जायन'

20. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा आउटगो से संबंधित ब्यौरा

20.1 ऊर्जा संरक्षण

चूंकि आपकी कंपनी के पास अपनी कोई निर्माण सुविधा नहीं है, इसलिए ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली स्थित "स्कोप कॉम्प्लेक्स" में है, जहां पर स्कोप (सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन) द्वारा सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन और अनुरक्षण कार्य किए जाते हैं। एसी चिलिंग यूनिटों/एलीवेटर्स के प्रचालन की कारगर निगरानी, नियंत्रण और शेड्यूलिंग से, अन्य ऊर्जा क्षय उपस्करों के द्वारा, टेरेस पर अतिरिक्त 100 किलोवाट सौर विद्युत संयंत्र का प्रावधान करके और साथ ही, मूवमेंट/ऑक्युपेंसी सेंसर लगाकार तथा यूनिट के नजदीक विद्युत फैक्टर का रख–रखाव करके स्कोप ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान करीब 2.06 लाख यूनिट की विद्युत खपत बचाई है, जिसके कारण करीब 26.94 लाख रुपये की बचत हुई है।

20.2 विदेशी विनिमय अर्जन तथा आउटगो

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की कोई विदेशी विनिमय आय नहीं थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय आउटफ्लो करीब 7,078.40 करोड़ रुपये का था, जो ब्याज, मूलधन चुकौती, वित्तीय प्रभारों, विदेश यात्रा, प्रशिक्षण व्यय, वास्तुकीय सेवाओं तथा अन्य व्ययों के संबंध में था।

21. सहायक कंपनियां

आपकी कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियां नामतः आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) [सीआईएनः [U40101DL2007GOI165779] और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) [सीआईएनः U40101DL2007GOI157558] हैं जो वितरण, पारेषण आदि के क्षेत्रों में परामर्श के अतिरिक्त कारोबार पर बल देती हैं।

21.1 आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड

आरईसीपीडीसीएल विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्शी सेवाओं के कारोबार में लगी हुई हैं जैसे वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों का कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटरों का कार्यान्वयन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, तृतीय पक्ष निरीक्षण, प्री–डिस्पैच मैटेरियल निरीक्षण और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस जैसी राज्य के वित्तपोषण करने वाली कुछ परियोजनाओं के तहत कार्य करना। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल 993.82 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित परामर्शी शुल्क के साथ 26 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 57 से अधिक डिस्कॉमों/विद्युत विभागों/सरकारी सोसायटियों में व्याप्त करीब 100 वर्तमान परियोजनाओं पर कार्य कर रही थी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने कुल 143.01 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जबकि विगत वर्ष का राजस्व 159.77 करोड़ रुपये था, और कर पश्चात लाभ 12.47 करोड़ रुपये था, जबकि विगत वित्तीय वर्ष का कर पश्चात लाभ 26.34 करोड़ रुपये था। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आरईसीपीडीसीएल का निवल मूल्य 168.20 करोड़ रुपये था जबकि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य 155.73 करोड़ रुपये था। दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) 2,495/– रुपये थी जबकि विगत वर्ष में यह 5,268/– रुपये थी। आरईसीपीडीसीएल के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 10 रुपये के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर 1,685/– रुपये के लाभांश की सिफारिश की है, जो मिलाकर 8.43 करोड़ रुपये होता है, जो भावी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुरोध के अध्यधीन है।

21.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

आरईसीटीपीसीएल समय–समय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए स्वतंत्र अंतर–राज्यीय और अंतः–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के जरिए पारेषण सेवा प्रदाताओं का चयन करने के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर–राज्यीय और अंतः–राज्यीय पारेषण परियोजना के विकास कार्य के लिए आरईसीटीपीसीएल अपनी पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) शुरू करती है। टीबीसीबी दिशा–निर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद आरईसीटीपीसीएल द्वारा ऐसी सहायक कंपनी को सफल बोलीदाता को सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ हस्तांतरित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसीटीपीसीएल ने नीचे दिए विवरण के अनुसार, चयनित बोलीदाताओं को 8 (आठ) परियोजना विशिष्ट एसपीवी कंपनियां (जिनमें 6 अंतर–राज्यीय परियोजनाएं और 2 अंतरा–राज्यीय परियोजनाएं) शामिल हैं, स्थानांतरित कीं:

क्रम सं.	परियोजना विशिष्ट एसपीवी का नाम (स्थानांतरित किए गए अनुसार)और संबद्ध पारेषण परियोजना	चयनित बोलीदाता का नाम	एसपीवी के हस्तांतरण की तारीख
1	खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40100DL2019GOI347127] *राजस्थान सेज (भाग–ग) से एलटीए अनुप्रयोग से सबद्ध पारेषण प्रणाली*	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	29 अगस्त, 2019
2	भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40300DL2018GOI338734] *गुना (जिला गुना) के समीप 400 केवी उप केंद्र के निर्माण के साथ संबद्ध अंतःराज्यीय पारेषण कार्य और भिंड (जिला भिंड) के समीप 220 केवी एस/एस के निर्माण से संबद्ध अंतःराज्यीय पारेषण कार्य*	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11 सितंबर, 2019
3	उडुपी कासरगोड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40100DL2018GOI342365] *400 केवी उडुपी (यूपीसीएल)–कसरगोड डी/सी लाइन के लिए पारेषण प्रणाली*	स्टरलाइट ग्रिड 14 लिमिटेड	12 सितंबर, 2019
4	अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40101DL2019GOI347423] *राजस्थान सेज से संबद्ध बेज के साथ–साथ अजमेर–(पीजी) फागी 765 केवी डी/सी लाइन का निर्माण*	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3 अक्तूबर, 2019
5	डब्ल्यूआरएसएस–XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40107DL2019GOI347713] *पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम–21 (डब्ल्यूआरएसएस–21) भाग–क – भुज पीएस में आरई इंजेक्शनों के कारण गुजरात अंतर–राज्यीय प्रणाली में देखी गई ओवरलोडिंग को छोड़ने के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण*	अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	14 अक्तूबर, 2019
6	लकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40107DL2019GOI347428] भुज–II, द्वारका और लकड़िया आरई उत्पादकों से संबद्ध पारेषण प्रणाली	अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	13 नवंबर, 2019
7	जम खंबालिया ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40105DL2019GOI347089] *जम खंबालिया पूलिंग स्टेशन और द्वारका (गुजरात) में आरई परियोजनाओं (1500 मेगावाट) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जम खंबालिया पूलिंग स्टेशन का इंटरकनेक्शन तथा मैसर्स सीजीपीएल स्विचयार्ड में संबद्ध बेज के साथ–साथ 400/220 केवी आईसीटी की संस्थापना*	अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	13 नवंबर, 2019
8	रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40101DL2019GOI349484] *765/400/220 केवी जीआईएस उपकेंद्र, रामपुर और 400/220/132 केजी जीआईएस उप केंद्र, सम्भल और संबद्ध पारेषण लाइनों का निर्माण*	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12 दिसंबर, 2019

आरईसीटीपीसीएल अंतर–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं जैसे झारखंड राज्य में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण (पैकेज 1 से 4) के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में भी कार्य कर रही है जिसके लिए इसने 4 एसपीवी कंपनियों जैसे चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40108DL2018GOI330905] कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40300DL2018GOI331192], दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40300DL2018GOI331490] और मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40101DL2018GOI331526] को निगमित किया था। इन परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान समाप्त होने की संभावना है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 के बाद, आरईसीटीपीसीएल ने निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में नीचे दी गई अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्यीय परियोजनाओं को निगमित किया है; जिनमें कि यह बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य कर रही है:

क्रम सं.	पारेषण परियोजना का नाम	एसपीवी कंपनी का नाम	निगमन की तारीख
1	महाराष्ट्र में उस्मानाबाद क्षेत्र (1 गीगावाट) में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	कल्लाम ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40106DL2020GOI364104]	28 मई, 2020
2	कर्नाटक में गडग (2500 मेगावाट) सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली – भाग क	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40100DL2020GOI364213]	2 जून, 2020
3	फेज–II के तहत राजस्थान (8.1 गीगावाट) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण – भाग ख	फतेहगढ़ भदला ट्रांसको लिमिटेड [CIN: U40108DL2020GOI364227]	2 जून, 2020
4	मध्य प्रदेश में राजगढ़ (2500 मेगावाट) सेज में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40106DL2020GOI364436]	6 जून, 2020
5	बिदर (2500 मेगावाट), कर्नाटक में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली	बिदर ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40106DL2020GOI364498]	8 जून, 2020
6	फेज–II के तहत राजस्थान (8.1 गीगावाट) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण – भाग ग	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40106DL2020GOI364672]	11 जून, 2020
7	फेज–II के तहत राजस्थान (8.1 गीगावाट) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण – भाग क	रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40300DL2020GOI365214]	26 जून, 2020
8	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मध्य प्रदेश में अंतर–राज्यीय पारेषण कार्य का विकासः पैकेज–I	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड [CIN: U40108DL2020GOI367417]	4 अगस्त, 2020
9	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मध्य प्रदेश में अंतर–राज्यीय पारेषण कार्य का विकासः पैकेज–II	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड [CIN: U40100DL2020GOI368275]	20 अगस्त, 2020

इसके अलावा, दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (CIN U40300DL2015GOI288066), एक परियोजना विशिष्ट एसपीवी और आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो कि दिनांक 2 सितंबर, 2015 को *परियोजना अर्थात अरुणाचल प्रदेश में फेज–I उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली* के लिए निगमित की गई थी, ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपना नाम हटाने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है क्योंकि यह परियोजना दिनांक 1 फरवरी, 2019 को राजपत्र और विद्युत मंत्रालय की दिनांक 31 मार्च, 2020 की सहमति के अनुसार गैर–अधिसूचित की गई।

आरईसीटीपीसीएल ने विद्युत मंत्रालय के मार्गनिर्देशन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ऑनलाइन वेब प्लेटफार्म और मोबाइल ऐप विकसित किया है, अर्थात ऊर्जा मित्र, तरंग (रियल टाइम मॉनीटरिंग और विकास के लिए पारेषण ऐप), 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग योजना इत्यादि और इसने अपने ग्राहकों की ओर से विभिन्न अन्य कार्य किए।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसीटीपीसीएल ने पूर्व वित्तीय वर्ष में 40.45 करोड़ रुपये की तुलना में 79.16 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः 70.55 करोड़ रुपये और 54.44 करोड़ रुपये है। आरईसीटीपीसीएल की निवल आय दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 112.60 करोड़ रुपये थी जबकि विगत वर्ष में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 118.44 करोड़ रुपये थी। आरईसीटीपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 10 रुपये प्रत्येक के चुकता इक्विटी शेयर पर 10,000 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया, जिसका मार्च 2020 में कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

21.3 आरईसीटीपीसीएल का आरईसीपीडीसीएल के साथ विलय

एक सशक्त और संकेंद्रित आकार, प्रचालनों में बेहतर तालमेल, विभिन्न बाजार घटकों के लिए और उच्च पूंजी आधार एवं साझा संसाधनों के लाभ प्राप्त करने के लिए आरईसी की दो असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल का एक ही संस्था में विलय करने का प्रस्ताव किया गया है।

तद्नुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत विद्युत मंत्रालय, निदेशक मंडल, संबंधित कंपनियों के शेयरधारकों और ऋणदाताओं का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा आरईसी का अनुमोदन लेने के बाद दिनांक 14 अगस्त, 2020 को आरईसीटीपीसीएल (स्थानांतरणकर्ता कंपनी) का आरईसीपीडीसीएल (स्थानांतरित कंपनी) के साथ विलय करने की व्यवस्था की योजना की स्वीकृति के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय में एक आवेदन दाखिल किया गया हैय और उसका अनुमोदन प्रतीक्षित है।

22. संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनी के ब्यौरे

आरईसी ने तीन अन्य सार्वजनिक उद्यम क्षेत्रों अर्थात् पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और पीएफसी को समान भागीदार बनाकर दिनांक 10 दिसंबर, 2009 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है, जिसका नाम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) [सीआईएन: U40200DL2009PLC196789] है। ईईएसएल एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) है और यह राज्य डिस्कॉमों, ऊर्जा विनियामक आयोगों, राज्य विकास प्राधिकरणों, भावी ईएससीओ, वित्तीय संस्थानों इत्यादि के लिए क्षमता निर्माण के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करती है। आरईसी ने 31 मार्च, 2020 तक ईईएसएल की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के निमित्त 218.10 करोड़ रुपये (22.18 प्रतिशत) का अंशदान किया है।

ईईएसएल की स्थापना विशेष रूप से नगरपालिका, भवनों, कृषि, उद्योग इत्यादि जैसे सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की बाजार पहुंच का सृजन करने तथा उसे बनाए रखने एवं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, एमएनआरई, भारत सरकार की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। ईईएसएल जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन अर्थात् वर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के बाजार से संबंधित क्रियाकलापों का भी नेतृत्व कर रहा है। ईईएसएल उच्चतम ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो को कार्यान्वित कर रहा है: और ऊर्जाक्षम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से वार्षिक रूप से अनुमानित 40 बिलियन केडब्ल्यूएच से अधिक की बचत हुई है।

वर्तमान में ईईएसएल विश्व के सबसे बड़े गैर–सब्सिडी आधारित एलईडी लाइटिंग कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है अर्थात एलईडी बल्ब के वितरण के लिए सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) कार्यक्रम, घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा दक्ष पंखे, विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट कार्यक्रम अर्थात स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी), जो नगरपालिकाओं में स्मार्ट और ऊर्जा सक्षम एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाकर परंपरागत स्ट्रीट लाइट को बदलने के लिए है, मौजूदा पैट्रोल और डीजल वाहनों, जो विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा पट्टे पर लिए गए हैं, के स्थान पर पट्टे पर/खरीद आधार पर सरकारी संस्थाओं के लिए विद्युत वाहन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में अक्षम कृषिकीय पम्प सेट की बदली करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा कृषि मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम (एजीडीएसएम), भवनों में ऊर्जाक्षम उपकरणों को रिट्रोफिट करने के लिए उन्हें ऊर्जाक्षम बनाने के लिए भवन ऊर्जाक्षम कार्यक्रम (बीईईपी), परंपरागत मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएमएनपी), सार्वजनिक जल कार्यों और सीवेज प्रणालियों में यूएलबी/राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ऊर्जाक्षम पंप सेट लगाने के लिए एएमआरयूटी के तहत नगरपालिका ऊर्जाक्षम कार्यक्रम (एमईईपी), सोलर रूफटॉप और विकेंद्रीकृत छोटे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सोलर कार्यक्रम, ऐसे ग्रामीण, अर्धशहरी क्षेत्रों, जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, में सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अटल ज्योति योजना (अजय), स्कूली बच्चों के लिए सोलर अध्ययन लैम्प के वितरण के लिए सोलर ऊर्जा लैम्प (एसओयूएल) तथा साथ ही उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर सुपर सक्षम एयर कंडीशनर प्रदान करने के लिए सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम भी विकसित किया गया है। ईईएसएल को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिपर अवार्ड (एफआईएलए), 2018 द्वारा "सर्वोत्तम कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र) अवार्ड" प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान ईईएसएल के निष्पादन में सुधार हुआ है और कंपनी का वित्तीय निष्पादन विकास पथ पर है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ईईएसएल के अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर कंपनी का टर्नओवर 1934.07 करोड़ रुपये (स्टैंडअलोन) था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः 27.22 करोड़ रुपये और 44.92 करोड़ रुपये था।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बने नियमों तथा भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी ने समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिनमें इसकी सहायक कंपनियां अर्थात् आरईसीटीपीसीएल और आरईसीपीडीसीएल (लेखापरीक्षित) तथा संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात ईईएसएल (अलेखापरीक्षित) शामिल हैं जिन्हें कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की होने वाली आगामी 51वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 129(3) के अनुसरण में सहायक/संबद्ध कंपनियों और संयुक्त कंपनी के फॉर्म एओसी–1 में वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं के साथ एक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) कंपनियों, जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कं. लि. (आरईसीटीपीसीएल) द्वारा इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में निगमित है, के विवरण आरईसी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किए गए हैं।

कंपनी की सहायक कंपनियों के समेकित भारतीय–लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षित लेखाओं सहित लेखा परीक्षित भारतीय–लेखांकन मानक वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं। तथापि, ये दस्तावेज कंपनी के किसी भी ऋण पत्र धारक के सदस्य अथवा न्यासी को उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी इनकी प्रति प्राप्त करने में रूचि रखने वाले कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराएगी।

24. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति का अधिकार विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय–समय पर जारी वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार नियत किया जाता है। अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को मंडल और समिति की बैठकों में आने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा

के भीतर) निर्धारित किए गए अनुसार, सदस्यता शुल्क दिया जाता है। भारत सरकार की शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक/सदस्यता शुल्क के हकदार नहीं हैं। निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक/सदस्यता शुल्क के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित सुशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कंपनी सचिव को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नामित किया है। कंपनी के सीईओ और सीएफओ की भूमिका क्रमशः कंपनी के सीएमडी और निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जा रही है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 जून, 2019 के विद्युत मंत्रालय के पत्र संख्या 27–46/1/2018–आरई के तहत तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (पीएफसी) के बीच शेयर परचेज करार के खंड 5.1 के तहत दिनांक 18 जून, 2019 से कंपनी के बोर्ड में पीएफसी के नामिती निदेशक के रूप में श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएनः 03548218) की नियुक्ति की थी।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 2 सितंबर, 2019 के कार्यालय आदेश सं. 46/8/2015–आरई (ई–227696) के तहत श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (डीआईएनः 03426753), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक के लिए, डॉ. अरुण कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव, जिन्हें पहले आरईसी के निदेशक मंडल में मंत्रालय के दिनांक 6 अक्तूबर, 2015 के कार्यालय आदेश संख्या 46/8/2015–आरई के तहत नामित किया गया था, के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। तद्नुसार, डॉ. अरुण कुमार वर्मा (डीआईएनः 02190047) दिनांक 2 सितंबर, 2019 से आरईसी के निदेशक के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22 नवंबर, 2018 के अपने आदेश संख्या 20/6/2017–समन्वय के तहत, श्री ए. कृष्ण कुमार (डीआईएनः 00871792) और प्रो. टी. टी. राम मोहन (डीआईएनः 00008651) को कंपनी के बोर्ड में उनके पूर्व टेन्योर (अर्थात 13 नवंबर, 2018) के पूरा होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया था। यह बढ़ाया गया टेन्योर 12 नवंबर, 2019 को पूरा हुआ और तद्नुसार, श्री ए. कृष्ण कुमार और प्रो. टी. टी. राम मोहन दिनांक 13 नवंबर, 2019 से आरईसी के निदेशकों के रूप में कार्यरत नहीं हैं।

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 8 फरवरी, 2017 के आदेश संख्या 46/2/2010–आरई (खंड–II) (पार्ट–IV) के तहत श्रीमती आशा स्वरूप (डीआईएनः 00090902) को तीन वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। यह तीन वर्ष की अवधि का टेन्योर 7 फरवरी, 2020 को पूरा हुआ और तद्नुसार श्रीमती आशा स्वरूप 8 फरवरी, 2020 से आरईसी की निदेशक के रूप में नहीं रहीं।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17 जुलाई, 2018 के आदेश सं. 20/6/2017–समन्वय के तहत डॉ. बी. के. कराड (डीआईएनः 00998839) को तीन वर्ष की अवधि के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तथापि, डॉ. कराड ने दिनांक 11 मार्च, 2020 को अपने व्यक्तिगत कारणों से आरईसी के बोर्ड से त्याग–पत्र दे दिया है। इसके अलावा, सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची–III (भाग–क) के खंड 7ख के संदर्भ में डॉ. कराड ने यह पुष्टि की कि त्याग–पत्र में दिए गए कारणों के अलावा, टेन्योर समाप्त होने से पूर्व त्याग–पत्र देने के लिए अन्य कोई कारण नहीं है।

महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों का पद उपरोक्तानुसार समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए कारपोरेट शासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 2010 के लिए आंशिक वर्ष के लिए बोर्ड की संरचना नहीं थी। कंपनी ने पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार अर्थात नियुक्ति प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए शीघ्रता करें ताकि लागू सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना हो सके।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 02231613), निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (स्वतंत्र प्रभार) का टेन्योर 31 मई, 2020 तक अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक बढ़ाया गया था। तदोपरांत, श्री अग्रवाल दिनांक 31 मई, 2020 को कंपनी से सेवानिवृत्त हो गए और 1 जून, 2020 से आरईसी के निदेशक के रूप में नहीं रहे।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के आदेश संख्या 46/9/2011–आरई (228164) के तहत श्री अजय चौधरी (डीआईएनः 06629871) को दिनांक 1 जून, 2020 से अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात 31 जनवरी, 2024 तक अथवा अगले आदेशों तक कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है। श्री अजय चौधरी पहले कंपनी में कार्यकारी निदेशक (वित्त) थे।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 12 जून, 2020 के आदेश संख्या 46/2/2019–आरई (247264) के साथ पठित दिनांक 21 जुलाई, 2020 के समसंख्यक आदेश के तहत श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएनः 03464342), निदेशक (तकनीकी) को 1 जून, 2020 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अनुसार, श्री संजीव कुमार गुप्ता ने कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है।

कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालना अधिकारी श्री जे. एस. अमिताभ, कार्यकारी निदेशक तथा कंपनी सचिव हैं।

सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपने टेन्योर के दौरान अपेक्षित घोषणा दे दी थी कि वे स्वतंत्र निदेशक के निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं और कोई भी निदेशक आपस में संबंधी नहीं है।

बोर्ड श्री अजीत कुमार अग्रवाल, डॉ. अरुण कुमार वर्मा, श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रो. टी. टी. राम मोहन, श्रीमती आशा स्वरूप तथा डॉ. बी. के. कराड द्वारा कंपनी में उनके टेन्योर के दौरान की गई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 91(iv) के अनुसार श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) कंपनी की आगामी 51वीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और वे पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं का प्रस्ताव करते हैं। निदेशक मंडल आरईसी में निदेशक के पद पर उनका टेन्योर पूरा होने तक उनकी पुनः नियुक्ति की सिफारिश करता है। उनका संक्षिप्त परिचय एजीएम के नोटिस के साथ संलग्न है।

25. निदेशक मंडल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, किसी सूचीबद्ध कंपनी से अपने बोर्ड की रिपोर्ट में विवरण द्वारा यह प्रकट करना अपेक्षित है कि बोर्ड द्वारा अपने, अपनी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के कार्य–निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए मानदंड किस तरीके से किया गया है।

तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के तहत अन्य बातों के साथ–साथ केंद्र सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा निदेशकों के मामले में मूल्यांकन किया जाता है तो उपर्युक्त अपेक्षा से सरकारी कंपनी को छूट दी गई है जोकि अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिनांक 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट करता है कि स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा तथा मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।

तद्नुसार, सरकारी कंपनी होने के कारण आरईसी को उपरोक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में छूट प्रदान की गई है क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (डीपीई)/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उनके आन्तरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

इसके अलावा, आपकी कंपनी हर वर्ष विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर करती है जिसमें डीपीई द्वारा जारी एमओयू दिशा–निर्देशों में निर्धारित फ्रेमवर्क के तहत कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मापदंड निर्धारित किए जाते हैं और कंपनी के निष्पादन का समझौता ज्ञापन के मानदंडों की तुलना में मूल्यांकन किया जाता है।

26. निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में इस बात की पुष्टि की गई है कि:

(i) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत् रूप से लागू किया गया है (वित्तीय विवरणों के लिए लेखाओं के नोट में प्रकट किए अनुसार लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को छोड़कर) तथा लिए गए अधिनिर्णय और लगाए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा युक्तिसंगत हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के संबंध में कंपनी के लाभ का सभी और उचित चित्रण किया जा सके;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण रिकॉर्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके;

(iv) वार्षिक लेखे चालू कंपनी प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए हैं;

(v) कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं; तथा

(vi) निदेशकों ने उपर्युक्त प्रणालियां बनाई हैं ताकि लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से चल रही हैं;

27. समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के कार्य निष्पादन को *"उत्कृष्ट"* की रेटिंग की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसी को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें "सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं" की श्रेणी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से "वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय संसूचना में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई अवार्ड" और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा कारपोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए *"पीएसई उत्कृष्टता अवार्ड 2018"*, नवरत्न और महारत्न श्रेणी में रनर अप शामिल हैं। इसके अलावा, आरईसी को स्कोप कारपोरेट कम्युनिकेशन्स एक्सिलेंस अवार्ड 2019 अर्थात *"सर्वोत्तम हाउस जर्नल (अंग्रेजी)"* के लिए प्रथम पुरस्कार, *"सर्वोत्तम कारपोरेट कम्युनिकेशन्स – इंटर्नल"* के लिए द्वितीय पुरस्कार और *"डिजिटल मीडिया का प्रभावी उपयोग"* के लिए तीसरा पुरस्कार दिया गया। आरईसी को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ भारत पुरस्कार" भी दिया गया।

28. "थिंक ग्रीन, गो ग्रीन" पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों को वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की अनुमति है। एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के तौर पर, कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की "हरित पहल" के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से सहायता की है और ऐसे शेयरधारकों को, जिनके ई–मेल दर्ज हैं,

नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रभावी इलैक्ट्रॉनिक डिलीवरी में सहायता की है। लाभांश (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी ऐसे शेयरधारकों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है।

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी सभी सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस में दिए गए सभी संकल्पों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। इस वर्ष कंपनी वार्षिक आम बैठक का आयोजन भी वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो वीडियो विजुअल माध्यमों से करेगी। सदस्यों के लिए ई–वोटिंग और वार्षिक आम बैठक में इलैक्ट्रॉनिक भागीदारी के लिए विस्तृत अनुदेश, एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई–मेल पते को पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरएंडटीए)/संबंधित सदस्य के डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास अपने ई–मेल पते दर्ज कराएं और कंपनी की हरित पहल में भाग लें।

29. स्वच्छ भारत अभियान

आरईसी ने दिनांक 16 मई, 2019 से 31 मई, 2019 तक के दौरान *"स्वच्छता पखवाड़ा–2019"* के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। कर्मचारियों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यालय के परिसर में और इसके आस–पास बैनर और पोस्टर लगाए गए। कंपनी के सभी अधिकारियों ने *स्वच्छता* की शपथ ली और कार्यालय के सभी स्थानों पर विशेषतः स्वच्छता का अभियान चलाया गया। आरईसी ने अपने चेन्नई, कोलकाता और तिरूवनंतपुरम स्थित कार्यालयों में ड्रॉइंग प्रतियोगिता भी आयोजित की और अपने कारपोरेट कार्यालय में *"क्या स्वच्छता अभियान ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है"* पर वाद–विवाद और *स्वच्छता चर्चा* की। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्लम क्षेत्रों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए। आरईसी के सभी कर्मचारियों ने इन कार्यक्रमों में बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। इसके अलावा, आरईसी ने वर्ष के दौरान *स्वच्छ तीर्थस्थल अभियान* के तहत अपनाए गए बरैछा बीर धाम, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में 5 सीट के शौचालय परिसर का निर्माण भी किया।

स्वच्छता ही सेवा

11 सितंबर, 2019 से 2 अक्तूबर, 2019 तक के दौरान आरईसी ने दैनिक प्रयोग में सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारिक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए *स्वच्छता ही सेवा* नामक एक तीन सप्ताह का कार्यक्रम भी आयोजित किया। 30 स्कूलों में विद्यार्थियों और स्टाफ के बीच प्लास्टिक कचरे और सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ड्राइंग प्रतियोगिताएं और लेक्चर का आयोजन किया। करीब 10000 जूट के थैले भी विद्यार्थियों और कर्मचारियों के बीच वितरित किए गए ताकि उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

प्लास्टिक कचरे को एकत्र करने, पृथक करने और रिसाइकल करने के लिए आरईसी कर्मचारियों द्वारा *"स्वच्छता श्रमदान"*

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में "सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005" को लागू करने के लिए आपकी कंपनी ने आवश्यक कदम उठाए हैं तथा आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी प्रेषित करने संबंधी कार्य का समन्वय करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक आरटीआई पुस्तिका आरईसी की वेबसाइट पर दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त आरटीआई से संबंधित आवेदनों और अपीलों की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	संख्या
1	प्राप्त हुए आवेदन पत्र	372
2	निपटाए गए आवेदन पत्र	370
3	बाद में निपटाए गए आवेदन पत्र	02
4	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त अपीलें	14
5	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गईं अपीलें	14
6	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से प्राप्त द्वितीय अपील सूचनाएं	01
7	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से द्वारा निपटाई गईं द्वितीय अपील सूचनाएं	01

31. सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसईएस) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक क्रय नीति के तहत सूचना

एमएसएमई के लिए दिशा–निर्देशों, जैसा कि खरीद प्रक्रिया में यथा उल्लिखित है, का कंपनी में अनुपालन किया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए आरईसी के प्रयास के रूप में और निर्धारित सार्वजनिक खरीद मानकों, जिन्हें नवंबर, 2018 से संशोधित किया गया है, को लिए आरईसी ने पहले ही यह अनिवार्य कर दिया है कि 10 लाख रुपये तक के मूल्य की वस्तुएं/सेवाएं, जो सामान्य प्रयोग की हैं, एमएसएमई के विक्रेताओं से 100 प्रतिशत खरीदी जाएं और साथ ही 50 प्रतिशत तक कीमत वरियता एमएसई को भी दी जाए जिनमें से 20 प्रतिशत एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित की गई हो। इस प्रकार, आरईसी एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी को प्रोत्साहित किया करती है।

इसके अलावा, आरईसी पहले से ही जैम (गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस), संबंध और समाधान पोर्टल पर पंजीकृत है और कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उप–कार्यालय/सहायक कंपनियां/प्रशिक्षण केंद्र (आरईसीआईपीएमटी) द्वारा उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसएमई वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आरईसी के खिलाफ भारत सरकार के एमएमएमई समाधान पोर्टल गैर–भुगतान की कोई शिकायत और/अथवा कोई अन्य शिकायत नहीं थी। आरईसी ने अपने आपको टीआरईडीएस पर पंजीकृत कराया और एमएसएमई के वेंडरों द्वारा बिल डिस्काउंट के लिए इस महत्वाकांक्षी मंच पर अपनी उपस्थिति दर्शाई। इसके अलावा, आरईसी ने हाल ही में अपने सभी कर्मचारियों के लिए अखिल भारत में स्थित सभी कार्यालयों के लिए जैम पोर्टल के जरिए सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की 100 प्रतिशत खरीद करने की अनिवार्यता की है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, आरईसी ने एक व्यापक जैम खरीददारी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें हेंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ–साथ जैम से आए फैकल्टी द्वारा विशेष सत्र आयोजित किए गए। इसमें सभी ने भाग लिया और सभी प्रतिभागियों द्वारा इसकी सराहना की गई।

आरईसी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान होने के नाते परियोजनाओं के निष्पादन में नहीं है। अतः हमारी खरीद संबंधी जरूरतें मुख्यतः कार्यालय उपकरण जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर, उपभोज्य स्टेशनरी और अन्य विविध मदें एवं सेवाएं इत्यादि हैं, जो अधिकांशतः एमएसएमई विक्रेताओं से ही खरीदी जाती हैं। आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एमएसई से 3.14 करोड़ रुपये राशि की खरीद की। आरईसी ने महिला उद्यमियों सहित एमएसएमई से खरीद करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अपने एमओयू लक्ष्यों की न केवल प्राप्ति की बल्कि लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की। आरईसी की एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति कंपनी की वेबसाइट और सीपीपीपी पोर्टल पर डाले गए सभी टेंडरों में शामिल है। इसकी गहन जांच की जा रही है और सीवीसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएम) द्वारा तिमाही और वार्षिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। आईईएम ने विभिन्न शिकायतों के लिए आरईसी के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की है और यह पाया कि सभी खरीद क्रियाकलाप उचित तरीके से किए गए हैं।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध ओर निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की वरिष्ठ स्तरीय महिलाओं द्वारा की जाती है और इसके एक सदस्य के रूप में एक गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। कंपनी के यौन उत्पीड़न विरोधी स्वरूप को आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में भी शामिल किया गया है।

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

33. वार्षिक विवरणी

आरईसी की वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक विवरणी लिंक https://www.recindia.nic.in/annual-returns पर और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आरईसी की वार्षिक विवरणी का उद्धरण लिंक https://www.recindia.nic.in/uploads/files/14-extract-of-annual-return-fy-19-20.pdf पर उपलब्ध है।

34. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्यौरे

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए संगत पक्ष लेन–देन के विवरण, जो फॉर्म एओसी–2 में प्रकट किए जाने आवश्यक हैं, 'शून्य' थे।

35. लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस. के. मित्तल एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 001135एन) और मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एण्ड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 000018एन/एन500091) को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स एस. के. मित्तल एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 001135एन) और मैसर्स ओ. पी. बागला एण्ड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 000018एन/एन500091) की नियुक्ति की गई है और सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उनकी नियुक्ति को स्वीकार किया है। कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन आगामी वार्षिक बैठक में लिया जाएगा ताकि वर्ष 2020–21 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जा सके।

सचिवालयी लेखा परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव (प्रैक्टिस प्रमाण–पत्र संख्या 715), नई दिल्ली को सचिवालयी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुसार उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

35.1 लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और बिना किसी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा डिस्क्लेमर के अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एक बिना प्रतिबंध रिपोर्ट दी है। तथापि, उनकी बोर्ड और समितियों की संरचना के संबंध में कतिपय टिप्पणियां हैं। सचिवालयी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधन ने उत्तर प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

सचिवालयी लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1. कंपनी ने दिनांक 8 फरवरी, 2020 से महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों *(13 नवंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक)* की नियुक्ति के संबंध में सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। 2. कंपनी ने क्रमशः 8 फरवरी, 2020 और 13 नवंबर, 2019 से लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। 3. कंपनी ने दिनांक 8 फरवरी, 2020 से कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, क्योंकि कोई स्वतंत्र निदेशक समिति का सदस्य नहीं था।	आरईसी एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 91 के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति के पास निहित हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मंडल और समितियों की संरचना 13 नवंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि को छोड़कर, कंपनी के बोर्ड में 8 फरवरी, 2020 से एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की रिक्ति होने के कारण, सभी लागू प्रावधानों का पालन किया गया था। कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया है और आरईसी का अनुरोध विद्युत मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है। एक बार विद्युत मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की नियुक्ति करने के बाद कंपनी सभी लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति में होगी।

36. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने दिनांक 6 अगस्त, 2020 के पत्रों के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में 'शून्य' टिप्पणी दी है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है।

37. डिबेंचर ट्रस्टी

सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियमावली, 2015 के अनुपालन में, समय–समय पर निर्गत बॉण्डों की भिन्न–भिन्न श्रृंखला के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टीज के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

38. सांविधिक प्रकटन

क) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई अंतर नहीं था।

ख) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की और कंपनी के निदेशक मंडल ने आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में संकल्प को पारित किया है।

ग) विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक आदेश जारी नहीं किए गए जो चल रहे कंपनी के मुद्दों की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों पर प्रभाव डालते हों।

घ) कंपनी उपयुक्त निगरानी प्रक्रिया, जिससे विभिन्न लेन–देनों की सही और समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है, प्रचालनों की दक्षता और सांविधिक विधि, विनियम और कंपनी नीतियों का अनुपालन सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली बनाई हुई है। ब्यौरों के लिए इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

ङ) वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों के गठन, विचाराधीन विषय, बैठकों से संबंधित सूचना, सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना तथा निदेशकों की फेमिलियराइजेशन/प्रशिक्षण नीति के लिए वेब लिंक, संबंधित पक्षकार लेन–देन की सामग्री संबंधी नीति तथा तृतीय पक्षकार लेन–देन तथा प्रमुख सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को मुआवजा, स्वतंत्र निदेशकों और आईईपीएफ को सीटिंग फीस आदि निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में उल्लिखित की गई है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है जो सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार की गई है।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कंपनियों का वित्त पोषण अथवा अवसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारोबार में लगी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति कंपनी पर लागू नहीं है, अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, निवेश के ब्यौरे स्टैंड अलोन वित्तीय लेखा विवरण पर टिप्पणी की टिप्पणी संख्या 10 में दिए गए हैं।

छ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अधीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

ज) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं की गई है जो वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच किए गए।

झ) कंपनी ने निदेशकों अथवा किसी कर्मचारी को स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किए हैं।

ञ) सतर्कता मामलों से संबंधित ब्यौरे, ऑडिट आपत्तियों के उत्तर और आरटीआई मामले इत्यादि इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से दिए गए हैं, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के तहत अपेक्षित है।

ट) केंद्रीय सरकार ने कंपनी (लागत, रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत रिकार्ड एवं लेखापरीक्षा) संशोधन नियमावली, 2014 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत रिकार्ड का रख–रखाव निर्धारित नहीं किया है। तद्नुसार, लागत लेखा और रिकार्ड का कंपनी द्वारा रख–रखाव करना अपेक्षित नहीं है।

ठ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों/सचिवालयी लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के किसी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी करने के किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

ड) कंपनी में भारतीय कंपनी सचिवालयी संस्थान द्वारा जारी और लागू सचिवालयी मानकों का अनुपालन किया गया है।

ढ) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में किसी नए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई, जिसमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(iiiए) के तहत प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

ण) कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

39. कंपनी के कारोबार पर कोविड–19 का प्रभावः

मार्च, 2020 में कोविड–19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक महामारी घोषित किया गया था। इस महामारी के चलते वैश्विक वित्तीय बाजारों में और साथ ही भारत में आर्थिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण गिरावट और अस्थिरता आई है। आपकी कंपनी स्थिति को निकट से देख रही है और एक अनुकूल तरीके से कारोबारी कार्यों को जारी रखने के लिए तीव्रता से कार्रवाई कर रही है।

आरबीआई द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसरण में, आरईसी ने मूलधन और/अथवा ब्याज (यथालागू अतिरिक्त ब्याज/अन्य ब्याज/प्रभारों सहित) के भुगतान के संबंध में 1 मार्च, 2020 से अधिकतम छः माह तक मोरेटोरियम प्राप्त करने के लिए अपनी उधारियों के लिए एक नीतिगत व्यवस्था बनाई है। इसके अलावा, भारत सरकार के *"आत्मनिर्भर भारत"* पैकेज के तहत, आरईसी ने उत्पादकों को भुगतान करने के लिए डिस्कॉमों को विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशन ऋण वितरित किए हैं क्योंकि वे महामारी के चलते गहन नकदी की समस्या का सामना कर रही थीं। इन ऋणों से लिक्विडिटी के जरिए विद्युत क्षेत्र को अत्यधिक अपेक्षित राहत मिली है।

40. गुरुग्राम, हरियाणा में आरईसी के निगमित कार्यालय भवन के निर्माण की स्थिति

आरईसी के सेक्टर 29, सिटी सेंटर, गुरूग्राम में स्टेट ऑफ द आर्ट भवन का निर्माण कार्य जोरों पर है। प्रस्तावित भवन का डिजाइन वास्तुकार मैसर्स सीडब्ल्यूए (वैश्विक डिजाइन वास्तुकीय प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से चयन) द्वारा तैयार किया गया है और इसमें अच्छी फिनिशिंग के साथ सफेद कंक्रीट की सरफेस, उभरी फ्लोरिंग, वातानुकूलन में विद्युत की खपत को कम करने के लिए स्लेब के लिए रेडियंट कूलिंग, आईबीएमएस, ऑटोमेटेड सेंसर नियंत्रित लाइटिंग, बायोक्लाइमेटिक ग्लास फैकेड व मोटाराइज्ड ब्लाइंड, रूफटॉप परगोला स्ट्रक्चर में सौर पीवी संयंत्र, ऑडिटोरियम तथा अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकीय विशेषताओं के साथ गृह (जीआरआईएचए) 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की है।

गुरुग्राम में आरईसी की निर्माणाधीन स्टेट–ऑफ–द–आर्ट बिल्डिंग

मैसर्स टेलिकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता है। इसके अलावा, परियोजना का कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों में जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, आर्टिजन इंटीरियर्स, हाई टेक ऑडियो सिस्टम प्रा. लि., हन्नू मार्केटिंग प्रा. लि. और वोहर पार्किंग सिस्टम प्रा. लि. तथा 6 परामर्शदाता/उप–परामर्शदाता भी परियोजना के लिए कार्य कर रहे हैं। परियोजना को अधिकतम महत्व देते हुए आरईसी ने भवन के संरचनात्मक डिजाइन की पुनरीक्षा के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को नियुक्त किया है।

मार्च, 2020 तक आरसीसी संरचना, ग्लास फैकेड इनव्लप (ऑडिटोरियम को छोड़कर) और परिसर में बाह्य परिधीय रोड पूरे हो गए हैं तथा आंतरिक पेरीफेरल और बाह्य विकास कार्य पूरी तरह से चल रहे हैं। यह परियोजना पूरा होने के एडवांस स्टेज पर है, इसमें कोविड–19 महामारी के कारण विलंब हो गया है।

आरईसी "वर्ल्ड हेडक्वार्टर बिल्डिंग" परियोजना को (i) 8वें गृह (जीआरआईएचए) शिखर सम्मेलन के दौरान अप्रतिरोधी वास्तुकीय डिजाइनय (ii) एकीकृत जल प्रबंधनय और (iii) 9वें गृह (जीआरआईएचए) शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा प्रबंधन के लिए एकीकृत पर्यावरण आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के लिए गृह (जीआरआईएचए) परिषद द्वारा ये तीन महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए थे जिससे जीआरआईएचए 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने में आगे मदद मिलेगी।

41. एकीकृत रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सेबी के दिनांक 6 फरवरी, 2017 के परिपत्र के अनुसार कंपनी की 'एकीकृत रिपोर्ट' तैयार की गई है और वह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

42. अपेक्षित सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियमावली, 2015, सीपीएसई के लिए कारपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा–निर्देश, 2010 और अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना निम्न रूप में इस रिपोर्ट के साथ सलग्न है:

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट	II
कारोबार दायित्व रिपोर्ट	III
एकीकृत रिपोर्ट	IV
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
कारपोरेट शासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र	VI
सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	VII
बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए नियुक्त ऋण–पत्र न्यासियों के ब्यौरे	VIII

43. आभार

निदेशकगण, भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, डीआईपीएएम, लोक उद्यम विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सहयोग, समर्थन के लिए और कपनी के कार्यों तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत कंपनियों और अन्य उधारकर्ताओं का कंपनी में निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

निदेशकगण, कंपनी के प्रतिष्ठित शेयरधारकों, आरईसी के बॉण्डों के निवेशकर्ताओं, देशी और विदेशी बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जेआईसीए के सहयोग एवं सद्भाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण, मैसर्स एस. के. मित्तल एण्ड कंपनी और मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एण्ड कंपनी एलएलपी, सांविधिक लेखा परीक्षकों, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, सचिवालयी लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

अंत में, निदेशकगण निष्ठापूर्वक कंपनी के सभी कर्मचारियों की सराहना करते हैं और उत्कृष्ट निष्पादन के एक और वर्ष में कंपनी की प्रगति के लिए उनके सतत् और समर्पित प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं।

अंत में निदेशकगण, लगातार एक और वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों को उनके सतत् और समर्पित प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं तथा उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह
निदेशक (तकनीकी)
(डीआईएनः 03464342)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त, 2020